

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2020-2021



केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020–2021



केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
www.cara.nic.in

विषय सूची

सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राक्कथन

अध्याय 1 : प्रस्तावना	1
1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	1
1.2 कारा की संचालन समिति	2
1.3 शुरु की गई महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियां (2020-21)	2
1.4 उप-समितियों का गठन	2
अध्याय 2 : गतिविधियां	3
2.1 बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)	3
2.2 प्रशिक्षण और विकास	4
अध्याय 3 : सांविधिक अनुपालन	16
3.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 संबंधी सूचना _	16
3.2 शिकायत प्रबंधन	16
3.3 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर सूचना	16
अध्याय 4 : आंकड़ा आधार	17
4.1 गत तीन वर्षों के दौरान दत्तक ग्रहण आंकड़े	17
4.2 राज्य और लिंग-वार दत्तक ग्रहण आंकड़े (देश के भीतर और अंतर-देशीय)	17
4.3 देश और लिंग-वार आंकड़े (भारतीय बच्चों का अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण)	18
4.4 देश में दत्तक ग्रहण का श्रेणी-वार ब्यौरा	18
4.5 अंतर-देशीय में दत्तक ग्रहण का श्रेणी-वार ब्यौरा	18
अनुलग्नक	19
5.1 परिशिष्ट – क : राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) का राज्य-वार ब्यौरा	19
5.2 परिशिष्ट – ख : केयरिंग्स पर पंजीकृत जिला बाल संरक्षण एकाइ (डीसीपीयूज) की राज्य-वार संख्या	23
5.3 परिशिष्ट – ग : केयरिंग्स पर पंजीकृत विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएसएज) की राज्य-वार संख्या	24
5.4 परिशिष्ट – घ : प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एएफएएज) की देश-वार संख्या और ब्यौरा	25
5.5 परिशिष्ट ड : कारा/म.बा.वि.मं. द्वारा विभिन्न पणधारकों को जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र/परामर्शिकाओं की प्रतियां	32
अध्याय 6 : वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखे	41

इन्दीवर पाण्डेय, आई.ए.एस.
सचिव

INDEVAR PANDEY, I.A.S.
Secretary

Tel. : 011-23383586, 23386731
Fax : 011-23381495
E-mail: secy.wcd@nic.in



सत्यमेव जयते



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001

Government of India
Ministry of Women & Child Development



संदेश

मुझे वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। दत्तक ग्रहण दत्तक बच्चे और दत्तक परिवार दोनों के लिए जीवन बदलने वाला अनुभव होता है। दत्तक ग्रहण में बालकों को डालने का कार्य सभी चरणों में समयबद्ध तरीके से एक प्रक्रिया द्वारा संचालित होना चाहिए, ताकि दत्तक ग्रहण के योग्य सभी बालकों को दत्तक परिवार मिल सके और उन्हें संस्थाओं में लंबे समय तक न रहना पड़े। अनाथ और निराश्रित बालकों के बाल कल्याण के लक्ष्यों में विभिन्न प्रकार की गैर-संस्थागत सेवाओं के माध्यम से सुरक्षा, परिवार संरक्षण और उनका पुनर्वास शामिल हैं।

विभिन्न प्राधिकरणों और मान्यता प्राप्त अभिकरणों के सहयोग से अनाथ और निराश्रित बच्चों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए देश में नोडल निकाय के रूप में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा कारा की स्थापना की गई है। कोविड-19 के दौरान, यह देखा गया कि प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त अभिकरणों ने कठिन परिस्थिति में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कड़ी मेहनत की। कोविड-19 के दौरान बालकों की देखरेख और बालकों को दत्तक माता-पिता को सौंपना एक कठिन काम था, जिसमें कारा ने गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की।

मैंने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में कुछ कमियां देखी हैं, विशेष रूप से हितधारकों द्वारा प्रक्रियात्मक देरी और दत्तक ग्रहण अभिकरणों एवं बाल देखरेख संस्थाओं तक कम संख्या में बच्चों का पहुंचना आदि। मैं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से माता-पिता की देखभाल के बिना रह रहे सभी बालकों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करने का आग्रह करता हूँ, क्योंकि ऐसा हर बालक प्यार और देखरेख करने वाले परिवार का सुपात्र होता है।

मैं देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए कारा के प्रयासों के साथ-साथ दत्तक ग्रहण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रणाली को लागू करने के प्रयासों की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि कारा, राज्य और इसके संबद्ध अभिकरण परिवार के बिना रह रहे बालकों के बेहतर भविष्य के लिए अधिक उत्साह के साथ कार्य करते रहेंगे।

इन्दीवर पाण्डेय

(इन्दीवर पाण्डेय)
अध्यक्ष, संचालन समिति, कारा
और सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

परिवर्णी शब्द

एआर	:	दत्तक ग्रहण विनियमन
एएफएए	:	प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण
सीए	:	केंद्रीय प्राधिकरण (बाल संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993 के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण)
सीएआरए	:	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
केयरिंग्स	:	बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
सीसी	:	पुष्टि प्रमाण पत्र
सीसीआई	:	बाल देखभाल संस्थान
सीडब्ल्यूसी	:	बाल कल्याण समिति
डीसीपीयू	:	जिला बाल संरक्षण एकक
डीसीपीओ	:	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
एचएसआर	:	गृह अध्ययन रिपोर्ट
आईसीपीएस	:	समेकित बाल संरक्षण स्कीम
आईसीटी	:	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीएम	:	भारतीय राजनयिक मिशन
आईईसी	:	सूचना शिक्षा और संप्रेषण
जेजे एक्ट	:	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
जेजे मॉडल नियम	:	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनआरआई	:	अनिवासी भारतीय
ओएसएस	:	अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित
ओसीआई	:	भारत के विदेशी नागरिक
पीएपी	:	भावी दत्तक माता पिता
एसएए	:	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
एसएआरए	:	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
एसएनसी	:	विशिष्ट जरूरतमंद बालक



भूमिका

1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

1.1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की स्थापना देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए प्यार करने वाले परिवारों को खोजने के प्रमुख उद्देश्य के साथ अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण को विनियमित करने, निगरानी करने और बढ़ावा देने के लिए जून, 1990 में कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। दिनांक 02 जुलाई, 1998 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक निर्णय के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 18 मार्च, 1999 को कारा को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत करके स्वायत्त दर्जा प्रदान किया। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण ने संस्थागत बच्चों के दत्तक ग्रहण स्थानन में सुरक्षोपायों को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त अभिकरणों और प्राधिकरणों की भागीदारी से दत्तक ग्रहण में बालकों के स्थानन को समर्थकृत किया है।

1.1.2 15 जनवरी, 2016 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 के माध्यम से, कारा ने देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने, अंतर-राज्यीय दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने, बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत हेग कन्वेंशन के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों पर विनियम निरूपित करने और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने के लिए सांविधिक निकाय का दर्जा प्राप्त किया है। कारा दत्तक परिवारों के साथ अधिकतम बच्चों को गैर-संस्थागत देखरेख में रखने की महत्वाकांक्षा रखता है। कारा को अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालकों का संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन (1993) के तहत वर्ष 2003 में केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अभिहित किया गया था। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का प्रमुख सदस्य सचिव और सीईओ होता है और इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 37 है।

1.1.3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत, कारा को निम्नलिखित कृत्य करना अधिदेशित है :-

- (क) देश में दत्तक ग्रहण को प्रोन्नत करना और राज्य अभिकरणों के समन्वय से अंतरराज्यिक दत्तक ग्रहण को सुकर बनाना;
- (ख) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहणों को विनियमित करना;
- (ग) समय-समय पर दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों पर ऐसे विनियमन की विरचना करना जो आवश्यक हो;
- (घ) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालकों को संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्यों को कार्यान्वित करना;
- (ङ) दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 37 के अंतर्गत यथा प्रदत्त अन्य कृत्य।

1.1.4 कारा का उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करना; भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) को सूचित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण; ऑनलाइन पंजीकरण, रेफरल (वरिष्ठता के आधार पर), आरक्षण एवं मिलान प्रणाली और पारदर्शिता के लिए ऑफ़लाइन मिलान को समाप्त करना है। नई बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से दत्तक ग्रहण में अधिक पारदर्शिता लाने और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है।

1.1.5 कारा का विजन ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित हैं, पालन-पोषण एवं देखरेख करने वाले परिवार का पता लगाना है। इसका मिशन देश के प्रत्येक कोने में दत्तक ग्रहण सेवाओं का विस्तार करना, दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के शीघ्र पुनर्वास के प्रयास करना, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के कार्यकरण में मानकीकरण सुनिश्चित करना, दत्तक ग्रहण में नैतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता-पिता को सुविधाएं प्रदान करना है।

1.2 कारा की संचालन समिति

1.2.1 कारा की संचालन समिति का गठन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 के तहत किया गया है। कारा की संचालन समिति की संरचना नीचे दी गई है: –

- (क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष (पदेन);
- (ख) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्राधिकरण से संबंधित – सदस्य (पदेन);
- (ग) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त से संबंधित – सदस्य (पदेन);
- (घ) एक राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण से एक सदस्य
- (ङ) विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण से दो सदस्य;
- (च) एक दत्तक माता-पिता;
- (छ) एक दत्तक बालक;
- (ज) कुटुंब कानून में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला एक एडवोकेट अथवा प्रोफेसर;
- (झ) सदस्य सचिव, जो संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा।

1.3 शुरु की गई महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियां (2020-2021)

1.3.1 एसएए-सीसीआई लिंकेज : विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएएज) और बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआईज) के बीच लिंकेज की स्थापना माता-पिता की देखरेख के बिना रह रहे प्रत्येक बालक तक पहुंचने के विचार से की गई है। सीसीआईज के अनिवार्य पंजीकरण और लिंकेज के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एसएए-सीसीआई लिंकेज को प्रोत्साहन दिया गया है। कुल पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाएं (सीसीआईज) 5,926 हैं, जिन्हें किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 5,726 बाल देखरेख संस्थाओं को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 66 में यथा उपबंधित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों से जोड़ा गया है।

1.3.2 नया एमईआर मॉड्यूल : उचित विचार-विमर्श और लगातार कड़ी मेहनत के बाद, सुरक्षा सरोकारों हेतु लेखापरीक्षित नया एमईआर मॉड्यूल तैयार किया गया

है, और अब उपयोगकर्ता परीक्षण के लिए केयरिंग्स पोर्टल पर लाइव है। तथापि, इसका परिनियोजन धीरे-धीरे होगा, ताकि सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों को इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार और प्रशिक्षित किया जा सके। यह मॉड्यूल डॉ शेफाली गुलाटी की अध्यक्षता में एम्स के डॉक्टरों के पैनेल द्वारा यथा अनुशंसित निर्धारित मापदंडों के आधार पर डॉक्टरों को चिकित्सकीय रूप से बालकों को वर्गीकृत करने में सहायता करेगा।

1.3.3 कारा हैल्पलाइन : तीन टेली काउंसलर के साथ विभिन्न हितधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के साथ टोल-फ्री हैल्पलाइन नंबर 1800-111-311 शुरू किया गया था। औसतन एक टेली काउंसलर वरिष्ठता से संबंधित और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया, मिलान, मामलों की प्रगति, रेफरल से संबंधित प्रारंभिक प्रश्नों से संबंधित प्रति दिन 200 कॉल का उत्तर देता है। एनओसी, एफआरआरओ, अनुरूपता आदि से संबंधित अन्य मामले भी सामने आते हैं।

1.4 उप-समितियों का गठन

1.4.1 दत्तक ग्रहण संबंधी मुद्दों पर कानूनी पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों की उप-समिति का गठन : 15 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक (कार्यसूची मद संख्या 4) में संचालन समिति के निर्णय के अनुसार, वकीलों के प्रशिक्षण हेतु अधिवक्ता सुश्री अपर्णा भट्ट की अध्यक्षता में संसाधन व्यक्तियों की एक उप-समिति का गठन दिनांक 07 फरवरी, 2020 को किया गया था।

1.4.2 दत्तक ग्रहण संबंधी मुद्दों पर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों की उप-समिति का गठन: 15 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक (कार्यसूची मद संख्या 8) में संचालन समिति के निर्णय के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण हेतु डा. राजेश सागर की अध्यक्षता में संसाधन व्यक्तियों की एक उप-समिति का गठन दिनांक 20 फरवरी, 2020 को किया गया था। उप-समिति ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का एक पूल बनाने के लिए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

गतिविधियां

2.1 बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

2.1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) नामक ऑनलाइन पोर्टल के साथ सरल बना दिया गया है, जो दत्तक ग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता लाता है। अब प्रत्येक भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।

2.1.2 यह वेब आधारित निगरानी प्रणाली एसएएज द्वारा बच्चों के ब्यौरों की प्रविष्टियां करने के साथ-साथ पीएपीज द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु पंजीकरण के लिए एक स्वचलित प्रणाली प्रदान करती है। यह दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में शीघ्रता और सहजता को सुगम बनाती है, परिणामस्वरूप कार्यान्वयन अभिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह पक्षकारों का नेटवर्क भी तैयार करती है और कारगर नीति निर्माण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा आधार का रख-रखाव करती है। केयरिंग्स केंद्रीय स्तर पर कारा और राज्य स्तर पर सारा एवं जिला स्तर पर डीसीपीयू द्वारा दत्तक ग्रहण और दत्तक ग्रहण-पश्च प्रक्रिया पर ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।

2.1.3 केयरिंग्स की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- क) दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना;
- ख) दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में हो रहे विलंब को कम से कम करना;
- ग) भावी दत्तक माता-पिता को सूचित निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना;
- घ) नीति निर्णय में सहायता लेने हेतु डाटाबेस का बुद्धि मता से विश्लेषण प्राप्त करना;
- ङ) केंद्रीय स्तर पर कारा और राज्य स्तर पर सारा एवं राज्य सरकार द्वारा दत्तक ग्रहण और दत्तक ग्रहण पश्च प्रक्रिया को ऑनलाइन निगरानी करके दत्तक ग्रहण प्रणाली में सुधार लाना;
- च) अध्यवसायी नीति नियोजन के लिए एक डाटाबेस तैयार करना;

छ) दत्तक ग्रहण अभिकरणों और बाल देखभाल संस्थानों के बीच अभिभावकों को माता-पिता की देखभाल के बिना रह रहे बच्चों का पूरा डाटाबेस बनाने हेतु लिंकेज स्थापित करना ताकि उन्हें जल्द से जल्द परिवार में स्थापित किया जा सके;

झ) बेहतर रूप से मिलान करवाने हेतु बच्चे और माता-पिता की प्रोफाइलिंग को सक्षम बनाने और दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता-पिता को उनके बारे में प्रासंगिक जानकारी और स्थिति ट्रैक करने हेतु सुविधा प्रदान करना।

2.1.4 केयरिंग्स के लाभ—

क) केयरिंग्स देश में लगभग 463 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों, 676 जिला बाल संरक्षण एकक और 34 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों को तथा प्राप्तकर्ता देशों के केंद्रीय प्राधिकरण जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों, 65 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों, 49 केंद्रीय प्राधिकरणों और भारतीय राजनयिक मिशनों को भी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

ख) बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का केन्द्र बन चुकी है और इसने ई-गवर्नेंस टूल के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त है और इसे एक ऐसी प्रणाली या प्लेटफॉर्म के रूप में चिह्नित किया गया है जिनके जरिए कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण कार्रवाई की जाएगी।

ग) केयरिंग्स निम्नलिखित तरीकों से संगठन को लाभ प्रदान करती है—

- (i) विभिन्न स्तरों पर विलंब को समझने और प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी;
- (ii) समयबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए डाटा विश्लेषण;
- (iii) केयरिंग्स पर दत्तक ग्रहण अभिकरणों का पंजीकरण;
- (iv) भावी दत्तक माता-पिता का ऑनलाइन पंजीकरण;
- (v) विशेष जरूरतों वाले बच्चों का शीघ्र स्थापन;
- (vii) ऑनलाइन चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट (एमईआर);

- (viii) एसएए के साथ लिंकेज के माध्यम से अन्य सीसीआईज में स्थापित बच्चों का दत्तक ग्रहण;
- (ix) घरेलू दत्तक ग्रहण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

2.1.5 विभिन्न संचालात्मक मॉड्यूल :

- (क) भावी दत्तक माता-पिता, सारा, डीसीपीयू और कारा के लिए देश में अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों के दत्तक ग्रहण के लिए मॉड्यूल।
- (ख) भावी दत्तक माता-पिता, सारा, डीसीपीयू और कारा के लिए अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों के अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मॉड्यूल।
- (ग) भावी दत्तक माता-पिता, सारा, डीसीपीयू और कारा के लिए देश में नातेदारी दत्तक ग्रहण मॉड्यूल।
- (घ) सारा, डीसीपीयू, एएफएए और कारा के लिए देश में नातेदारी दत्तक ग्रहण के लिए मॉड्यूल।
- (ङ) भावी दत्तक माता-पिता, सारा, डीसीपीयू और कारा के लिए सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए मॉड्यूल।
- (च) शिकायत पोर्टल।
- (छ) अंतर-देशीय भावी दत्तक माता-पिता द्वारा स्थिति का पता लगाने के लिए मॉड्यूल।

2.1.6 केयरिंग्स से संबंधित प्रशिक्षण :

कारा सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में

केयरिंग्स के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है और क्षेत्रीय जरूरतों और आवश्यकताओं के बारे में प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता रहा है।


2.2 प्रशिक्षण और विकास गतिविधियां :

दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षण देने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, कारा देश में कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। विवरण नीचे दिया गया है:-

2.2.1 सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला:-

कारा ने तीन दिनों के स्थान पर चार दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअली शुरू किया है। सात उत्तर पूर्वी राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अक्तूबर, 2020 के महीने में वर्चुअली आयोजित किया गया था और 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण नवंबर, 2020 के महीने में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण 14 से 17 दिसंबर, 2020 तक आयोजित किया गया था। देश में वर्चुअल प्रशिक्षण सहित इस प्रशिक्षण के कुल लाभार्थी 1300 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।


क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यशालाएं (शामिल किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	स्थान	कार्यक्रम की तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
1.	भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड	12 से 15 अक्तूबर, 2020	118
2.	भारत के 11 राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, पंजाब, उत्तराखंड	9 से 12 नवम्बर, 2020	100
3.	मध्य प्रदेश और राजस्थान के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	मध्य प्रदेश और राजस्थान	14 से 17 दिसम्बर, 2020	140




12 से 15 अक्टूबर, 2020 – असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम



9 से 12 नवम्बर, 2020- अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, पंजाब, उत्तराखंड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम



14 से 17 दियम्बर 2020 – मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के लिए सामाजिक कार्यकर्ता वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम



2.2.2 वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण :- वैश्विक महामारी कोविड-19 की अभूतपूर्व स्थिति के कारण सामूहिक और शारीरिक गतिविधियों के आयोजन में सुविचारित बदलाव किया गया। वर्ष 2020 के लिए नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अंततः रद्द कर दिए गए। सरकार की अनलॉक करने की पहल के साथ, राष्ट्रीय लॉकडाउन

पश्च गतिविधियां, कारा ने 26 मई, 2020 को आयोजित वेबिनार में विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्चुअल आयोजन शुरू किया। निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम वेबिनार के माध्यम से वर्चुअली आयोजित किए गए थे :-

क्र.सं.	विवरण	कार्यक्रम की तारीख	भागीदारी
1.	कारा ने देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के बीच बाल देखरेख और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।	22 मई, 2020	सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
2.	दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए और प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए नए प्रोटोकॉल और प्रक्रिया तैयार करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 22 मई, 2020 को हुई चर्चा के क्रम में, कारा ने 26 मई, 2020 को चिकित्सा, कानून और सामाज्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और मौजूदा परिस्थितियों में दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय लेने के लिए एक और वेबिनार का आयोजन किया।	26 मई, 2020	क्षेत्र विशेषज्ञ

3.	राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण परिषद सम्मेलन के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के एएफएएज के दल के साथ वेबिनार	24 जून, 2020	12 एएफएएज
4.	हेग कन्वेंशन – अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में अनुचित पद्धतियों का निवारण और समाधान पर कार्यकारी समूह की बैठक की रिपोर्ट पर वेबिनार (एचसीसीएस द्वारा आयोजित)	8 जुलाई से 10 जुलाई, 2020	03
5.	इटली के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ वेबिनार	23 जुलाई, 2020	13
6.	बड़े बच्चों के दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने के लिए एसएए-सीसीआई लिकेज के महत्व पर राज्यों के साथ वेबिनार	28 जुलाई, 2020	155
7.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम पर अभिविन्यास	16 अगस्त, 2020	47
8.	कोविड-19 महामारी के बीच बाल कल्याण समितियों द्वारा सामाना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों का समाधान विषय पर वेबिनार। वेबिनार में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी देखी गई।	20 अगस्त, 2020	177
9.	हरियाणा राज्य में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 पर प्रशिक्षण	26 अगस्त, 2020	48
10.	सिंगापुर उच्च आयोग के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम	26 अगस्त, 2020	05
11.	कोविड-19 महामारी के बीच उनके द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों का समाधान के बारे में महाराष्ट्र की 39 बाल कल्याण समितियों के लिए वेबिनार	23 सितम्बर, 2020	100
12.	“उत्तर पूर्वी राज्यों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम का सुदृढीकरण” पर एक वेबिनार आयोजित की गई थी	5 अक्टूबर 2020	165
12.	आंध्र प्रदेश राज्य में केयरिंग्स पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण सत्र पर वेबिनार	8 और 9 अक्टूबर, 2020	50
13.	महाराष्ट्र राज्य में केयरिंग्स पर वेबिनार	22 अक्टूबर, 2020	55
14.	महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण	10 और 11 नवम्बर, 2020	247
15.	चयनित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केयरिंग्स संबंधी प्रशिक्षण	18 नवम्बर, 2020	88
16.	छत्तीसगढ़ राज्य में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर वेबिनार प्रशिक्षण	7 और 8 जनवरी, 2021	60
17.	कारा का वार्षिक दिवस	15 जनवरी, 2021	70
18.	महाराष्ट्र राज्य में केयरिंग्स संबंधी वेबिनार	5 फरवरी, 2021	158
19.	बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट पर वेबिनार (सीएसआर एवं एमईआर)	19 फरवरी, 2021	52
20.	पूर्वी और उत्तरी राज्यों के मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पर वेबिनार	24 फरवरी, 2021 से 20 मार्च, 2021	48
21.	न्यू केयरिंग्स पर वेबिनार प्रशिक्षण	24 मार्च, 2021	93
22.	न्यू केयरिंग्स पर वेबिनार प्रशिक्षण	26 मार्च 2021	94



22 मई, 2020 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वेबिनार




26 मई 2020 को क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ वेबिनार




24 जून, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एएफएए के दल के साथ वेबिनार



23 जुलाई, 2020 को इटली के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ वेबिनार



बड़े बच्चों के दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने के लिए एसएए-सीसीआई लिंकेज के महत्व पर राज्यों के साथ 28 जुलाई, 2020 को आयोजित वेबिनार




महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम पर 16 अगस्त, 2020 को आयोजित अभिविन्यास




बाल कल्याण समितियों द्वारा सामाना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों का समाधान विषय पर 20 अगस्त, 2020 को आयोजित वेबिनार



हरियाणा में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 पर 26 अगस्त, 2020 को आयोजित प्रशिक्षण



सिंगापुर उच्च आयोग के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए 26 अगस्त, 2020 को आयोजित प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम




कोविड-19 महामारी के बीच उनके द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों का समाधान के बारे में महाराष्ट्र की 39 बाल कल्याण समितियों के लिए 23 सितम्बर, 2020 को आयोजित वेबिनार



“उत्तर पूर्वी राज्यों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम का सुदृढीकरण” पर 05 अक्तूबर, 2020 को आयोजित वेबिनार




आंध्र प्रदेश के लिए केयरिंग्स पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण पर 09 अक्तूबर, 2020 को आयोजित वेबिनार



सारा महाराष्ट्र के लिए 07 और 08 जनवरी, 2021 को आयोजित दत्तक ग्रहण प्रक्रिया प्रशिक्षण



सारा छत्तीसगढ़ के लिए 02 .03.2021 को आयोजित सीएसआर और एमईआर प्रशिक्षण



पूर्वी और उत्तरी राज्यों के मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए 24.02.2021 से 23.03.2021 तक आयोजित प्रशिक्षण

2.2.3 मीडिया और प्रचार :- दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 37 (13) के तहत कारा को दत्तकग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत बाल देखरेख सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए या तो स्वयं या अपने सहबद्ध निकायों द्वारा समर्थन, जागरूकता और सूचना, शिक्षा तथा संचार क्रियाकलाप चलाने के लिए अधिदेश प्राप्त है। वर्ष 2020 के दौरान की गई मीडिया और प्रचार गतिविधियों का अनुवर्ती पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

2.2.4 तिमाही फेसबुक लाइव चर्चा :- कारा तिमाही वेब आउटरीच के माध्यम से हितधारकों, विशेष रूप से भावी दत्तक माता-पिता तक पहुंच बना रहा है। दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार फेसबुक लाइव चर्चा आयोजित की गई थी। चर्चा की काफी सराहना हुई थी और इन चर्चाओं के माध्यम से कई मुद्दों का सीधे समाधान किया गया था। लाइव सत्रों के दौरान रिकार्ड की गई आउटरीच का उल्लेख नीचे किया गया है :-

क्र. सं.	कार्यक्रम की तारीख	पहुंच बनाए गए व्यक्ति / भागीदार / उत्तर दिए गए प्रश्न
1.	10 जून, 2020	(क) पहुंच बनाए गए कुल व्यक्ति - 7947 (ख) कुल भागीदारी - 1483 (ग) उत्तर दिए गए कुल प्रश्न - 257
2.	19 अगस्त, 2020	(क) पहुंच बनाए गए कुल व्यक्ति - 10093 (ख) कुल भागीदारी - 1723 (ग) उत्तर दिए गए कुल प्रश्न - 146
3.	25 नवम्बर, 2020	(क) पहुंच बनाए गए कुल व्यक्ति - 5581 (ख) कुल भागीदारी - 1458 (ग) उत्तर दिए गए कुल प्रश्न - 46


2.2.5 अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह-नवंबर 2020

नवंबर माह अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह का विषय "दिव्यांग और बड़े बच्चों का दत्तक ग्रहण" है। नवंबर 2020 के अंतरराष्ट्रीय माह के

दौरान अंतर्निहित विषय "दिव्यांग और बड़े बच्चों का दत्तक ग्रहण" को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई और निष्पादित की गई थी। विषय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वेब व्याख्यान और वेबिनार किए गए।

क्र.सं.	विवरण	कार्यक्रम की तारीख	आउटरीच
1.	माह के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आईईसी सामग्री (पोस्टर श्रृंखला) के माध्यम से प्रचार-प्रसार	01 से 30 नवम्बर, 2020	146143
2.	दत्तक ग्रहण कानूनों पर वेब व्याख्यान	10 नवम्बर, 2020	250
3.	दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर वेब व्याख्यान	17 नवम्बर, 2020	746
4.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में दिव्यांग और बड़े बालकों के दत्तक ग्रहण पर वेबिनार	19 नवम्बर, 2020	63
5.	# मेरी कहानी - दत्तक माता-पिता और दत्तकों के अनुभवों पर अंतःक्रिया सत्र	24 नवम्बर, 2020	1664
6.	फेसबुक पर प्रश्नोत्तर सत्र	25 नवम्बर, 2020	5581

7.	दत्तक ग्रहण हेतु मानसिक तैयारी पर वेबिनार	27 नवम्बर, 2020	625
8.	दत्तकग्राही परिवारों के परामर्श पर निमहंस द्वारा रिकार्ड किए गए प्रश्नोत्तर सत्रों के वीडियोज का प्रसार-प्रचार	27 से 29 नवम्बर, 2020	332
9.	“सीमा पार दत्तक ग्रहण : अनुभवों की साझेदारी” पर अंतर-राष्ट्रीय वेबिनार	08 दिसंबर, 2020	46 (14 आईडीएमएस, 12 केंद्रीय प्राधिकरण और 3 दूतावास)
कुल आउटरीच			155450




दत्तक ग्रहण कानूनों पर 10 नवम्बर, 2020 को आयोजित वेब व्याख्यान




दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर 17 नवम्बर, 2020 को आयोजित वेब व्याख्यान



सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 19 नवम्बर, 2020 को आयोजित वेबिनार



मेरी कहानी वृ दत्तक माता-पिता और दत्तकों के अनुभवों पर 24 नवम्बर, 2020 को आयोजित अंतःक्रिया सत्र



दत्तक ग्रहण हेतु मानसिक तैयारी पर 27 नवम्बर, 2020 को आयोजित वेबिनार

ADOPTION OF DIVYANG AND OLDER CHILDREN

Q&A SESSION
25th NOVEMBER 2020

facebook
EVENT HOSTED BY
CARA

25 NOVEMBER, 2020
WEDNESDAY
FROM 11:30 AM - 01:00PM

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT: <https://www.facebook.com/cara.nic.in>

OTHER USEFUL INFORMATION, PLEASE LOG ON TO OUR WEBSITE: www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
wishes all the stakeholders, Social
Service Organisations, Prospective
Adoptive Parents and Children
Very Happy
International Adoption Month 2020

INTERNATIONAL ADOPTION MONTH

www.facebook.com/cara.nic.in
twitter.com/CARAWCD
carahdesk.wcd@nic.in
1800 11 1311

2.2.6 अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह 2020 के उत्सव के क्रम में, “सीमा पार दत्तक ग्रहण : अनुभवों की साझेदारी” पर अंतर-राष्ट्रीय वेबिनार 08 दिसंबर, 2020 को अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक आयोजित की गयी थी। सुश्री देबाश्री चौधरी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में वेबिनार की अध्यक्षता श्रीमती श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने की थी। वेबिनार में श्री. संजय भट्टाचार्य सचिव, सीपीवी और ओआईए, विदेश मंत्रालय; श्री राम मोहन मिश्रा, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; श्रीमती आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्य सम्मानित

गणमान्य व्यक्तियों और राजनयिकों ने भागीदारी की थी। वेबिनार में विदेशों के कुल 12 केंद्रीय प्राधिकरणों, 14 भारतीय राजनयिक मिशनों और दिल्ली में स्थित 3 विदेशी दूतावासों ने भाग लिया। फ्रांस और माल्टा के केंद्रीय प्राधिकरण ने अपने विचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया और सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग ने भी वेबिनार में अपने मुद्दों को उठाया। भारत ने वर्ष 2003 में अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन की अभिपुष्टि की। कारा को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993 के अंतर्गत अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है।



2.2.7 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गतिविधियां :- दत्तक ग्रहण माह 2020 के समारोह के दौरान राज्यों द्वारा अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। 14 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कारा को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। निम्नलिखित गतिविधियां विशेष रूप से की गईं :-

(क) वेबिनारों का आयोजन, आईईसी सामग्री का वितरण, सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और स्टैंडीज का प्रदर्शन।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर टॉक शो, पैनल चर्चा और फोन-इन कार्यक्रमों का आयोजन।

(ग) अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों और लेखों के माध्यम से समर्थन प्रयास।

(घ) दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने और समर्थन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बैठकों और हेल्प डेस्क का आयोजन।



बिहार में स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा प्रिंट मीडिया कवरेज



आकाशवाणी दमन पर टॉक शो

National Adoption Month

Live Phone-in program



सारा केरल द्वारा आईईसी सामग्री (मलियालम में) वितरण



दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर दूरदर्शन गिरनार (गुजरात) पर पैनल चर्चा

- 2.2.8 अन्य गतिविधियां :-** रिपोर्ट की अवधि के दौरान कारा में आयोजित विभिन्न अन्य गतिविधियां, कार्यकलाप और कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-
- 2.2.9 कोविड-19 अभियान, अक्तूबर 2020 :-**
रुयूनाइट2फाइटकरोना:- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कारा द्वारा सोशल मीडिया

प्लेटफार्मों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से रोकथाम के तरीके बताने के लिए आम लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु रुयूनाइट2फाइटकरोना के माध्यम एक अभियान शुरू किया गया था। अभियान अभी भी कारा द्वारा चलाया जा रहा है। कारा के कर्मचारियों ने 12 अक्तूबर, 2020 को प्रमुख कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाने का संकल्प लिया।





2.2.10 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन : हिंदी पखवाड़े का आयोजन 15 से 30 सितंबर, 2020 तक किया गया था। 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता,

स्वरचित कविता पाठ, वाद-विवाद, टिप्पण और प्रारूप प्रतियोगिता, राजभाषा और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।



वैधानिक अनुपालन

3.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 संबंधी सूचना

3.1.1 कारा ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री कमल किशोर, उप निदेशक (प्रशासन) को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नोडल अधिकारी के रूप में, दो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) (प्रशासन प्रभाग और कार्यक्रम प्रभाग) के लिए एक-एक और दो अपीलीय प्राधिकारी (एए) को नामित किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कारा को कुल 101 ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई आवेदन (प्रत्यक्ष/स्थानांतरित मामले) प्राप्त हुए। 101 आरटीआई आवेदनों में से, सीपीआईओ (कारा) ने वर्ष 2020-21 के दौरान 71 आरटीआई आवेदनों (निपटान/स्थानांतरित) पर प्रतिक्रिया की और उनका जवाब दिया। सीपीआईओ (कारा) द्वारा 30 आरटीआई आवेदनों के उत्तर लंबित रहे जिन्हें अगले वर्ष के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।

3.1.3 इसके अलावा, कारा को कुल 02 ऑनलाइन/ऑफलाइन अपील आवेदन प्राप्त हुए हैं, अपीलीय प्राधिकारी (कारा) ने वर्ष 2020-21 के दौरान निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी 02 अपील आवेदनों पर प्रतिक्रिया की और उनका जवाब दिया। आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपील आवेदनों का तिमाही-वार विवरण निम्नानुसार है :-

(क) आरटीआई आवेदन :

तिमाही	ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त (सीधे/स्थानांतरित मामले) आरटीआई की संख्या	निपटान/स्थानांतरित की गई आरटीआई की संख्या	लंबित ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई की संख्या जिन्हें अगली तिमाही के लिए अग्रेषित किया गया
पहली तिमाही	13	06	07
दूसरी तिमाही	40	28	12
तीसरी तिमाही	28	21	07
चौथी तिमाही	20	16	04
कुल	101	71	30

(ख) आरटीआई अपील

तिमाही	ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त (सीधे/स्थानांतरित मामले) अपीलों की संख्या	निपटान/स्थानांतरित की गई अपीलों की संख्या	लंबित ऑनलाइन/ऑफलाइन अपीलों की संख्या जिन्हें अगली तिमाही के लिए अग्रेषित किया गया
पहली तिमाही	01	01	00
दूसरी तिमाही	01	01	00
तीसरी तिमाही	00	00	00
चौथी तिमाही	00	00	00
कुल	02	02	00

3.2 शिकायत प्रबंधन

3.2.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों और उनके उत्तरों का विवरण :-

शिकायत/प्रश्न का प्रकार	प्राप्त शिकायतों/प्रश्नों की कुल संख्या	उत्तर दी गई शिकायतों/प्रश्नों की कुल संख्या
पीएमओ पीजी/सीपी ग्राम	56	56
शिकायतें	6029	6133'
शिकायत अपील	117	145'

*पिछले वर्ष से 104 शिकायतों और 28 अपीलों को अग्रेषित किया गया और चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर दिया गया।

3.3 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर सूचना

3.3.1 कारा में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर एक आंतरिक शिकायत समिति है। समिति में (i) डॉ मीना राधाकृष्ण, अध्यक्ष, (ii) श्रीमती अपर्णा भट्ट, अधिवक्ता (डॉ मीना राधाकृष्ण की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए), (iii) सुश्री सुषमा रामास्वामी, वाईडब्ल्यूसीए, (iv) श्री कमल किशोर, उप निदेशक (प्रशासन) कारा, (v) श्री एस. के. गुप्ता, सहायक निदेशक कारा और (vi) श्रीमती शालिनी पीयूष, वरिष्ठ पेशेवर कारा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.3.2 वर्ष 2020-21 के दौरान, समिति को कारा के कर्मचारी से एक शिकायत प्राप्त हुई। उस शिकायत का समिति द्वारा विधिवत कार्यवाही के बाद निपटारा कर दिया गया।

आंकड़ा आधार

4.1 गत तीन वर्षों के दौरान दत्तक ग्रहण आंकड़े (समेकित) :-

दत्तक ग्रहण	2018-2019	2019-2020	2020-2021
देश के भीतर	3374	3351	3142
अंतर-देशीय	653	394	417

4.2 वर्ष 2020-2021 के लिए राज्य और लिंग-वार दत्तक ग्रहण आंकड़ों (देश के भीतर और अंतर-देशीय) का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	देश के भीतर			अंतर-देशीय		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	39	36	75	13	11	24
2.	असम	36	40	76	3	5	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	3	3	0	0	0
4.	बिहार	29	93	122	5	10	15
5.	चंडीगढ़	5	6	11	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	44	51	95	6	7	13
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	1	2	3	0	0	0
8.	दिल्ली	39	45	84	11	7	18
9.	गोवा	10	11	21	0	0	0
10.	गुजरात	48	59	107	3	12	15
11.	हरयाणा	19	16	35	4	5	9
12.	हिमाचल प्रदेश	0	3	3	0	0	0
13.	झारखंड	44	34	78	1	4	5
14.	कर्नाटक	90	137	227	8	21	29
15.	केरल	62	65	127	3	7	10
16.	मध्य प्रदेश	50	91	141	6	12	18
17.	महाराष्ट्र	239	354	593	38	37	75
18.	मणिपुर	3	3	6	0	1	1
19.	मेघालय	7	10	17	0	1	1
20.	मिजोरम	8	22	30	5	2	7
21.	नगालैंड	10	2	12	5	1	6
22.	ओडिशा	76	94	170	4	5	9
23.	पुदुचेरी	4	6	10	0	0	0
24.	पंजाब	13	33	46	12	12	24
25.	राजस्थान	42	87	129	11	10	21
26.	सिक्किम	11	7	18	0	0	0
27.	तमिलनाडु	137	216	353	11	11	22
28.	तेलंगाना	41	85	126	9	12	21
29.	त्रिपुरा	4	10	14	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	72	125	197	15	27	42
31.	उत्तराखंड	7	9	16	0	4	4
32.	पश्चिम बंगाल	96	101	197	10	10	20
	कुल	1286	1856	3142	183	234	417

4.3 वर्ष 2020-2021 के लिए देश और लिंग-वार आंकड़ों का ब्यौरा (भारतीय बच्चों का अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण)

क्र.सं.	देश	वर्ष 2020-2021 के लिए देश-वार और लिंग-वार आंकड़े (अंतर-देशीय):			
		अंतर-देशीय			
		पुरुष	महिला	अन्य	कुल
1.	ऑस्ट्रेलिया	1	1	0	2
2.	ऑस्ट्रिया	0	2	0	2
3.	बेल्जियम	1	1	0	2
4.	कनाडा	9	15	0	24
5.	डेनमार्क	1	0	0	1
6.	फिनलैंड	0	1	0	1
7.	फ्रांस	3	5	0	8
8.	जर्मनी	1	2	0	3
9.	इटली	37	28	0	65
10.	केन्या	0	1	0	1
11.	लक्जमबर्ग	1	0	0	1
12.	माल्टा	15	10	0	25
13.	न्यूजीलैंड	0	2	0	2
14.	फिलीपींस	0	1	0	1
15.	स्पेन	16	18	0	34
16.	स्वीडन	1	0	1	2
17.	स्विट्ज़रलैंड	2	1	0	3
18.	थाईलैंड	0	1	0	1
19.	यूनाइटेड किंगडम	2	2	0	4
20.	संयुक्त अरब अमीरात	2	16	0	18
21.	संयुक्त राज्य अमेरीका	85	131	1	217
	कुल	177	238	2	417

4.4 देश में दत्तक ग्रहण का श्रेणी-वार ब्यौरा :-

अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्षित दत्तक ग्रहण	नातेदारी दत्तक ग्रहण	सौतेला दत्तक ग्रहण
2,919	34	6

4.5 अंतर-देशीय में दत्तक ग्रहण का श्रेणी-वार ब्यौरा :-

अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्षित दत्तक ग्रहण	नातेदारी दत्तक ग्रहण
399	18

अनुलग्नक

5.1 परिशिष्ट – क

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संबंधित सारा
क.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण निदेशालय कार्यालय अंडमान व निकोबार प्रशास, दक्षिण अंडमान-744502
ख.	आंध्र प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग कार्यालय चौथा तलए जम्पानी टॉवर्स, लॉज सेंटर के पास, अमरावती रोड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522006
ग.	अरुणाचल प्रदेश	समाज कल्याण विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार पोस्ट बॉक्स नं. 227, नाहरलागुआन, अरुणाचल प्रदेश-271112
घ.	असम	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी कार्यालय, असम सरकार, प्रथम तल, मकान नं. 46, सर्वे बस स्टाप, बेलटोला गुवाहाटी-28, असम
ङ	बिहार	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण दूसरा तलए अपना घर, ललित भवन के पीछे, पुनार्चिक, बेली रोडए पटना-800023, बिहार
च.	चंडीगढ़	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण संघ राज्य क्षेत्र बाल संरक्षण सोसाइटी अतिरिक्त टाउन हॉल बिल्डिंग, तीसरा तल, सेक्टर-17बी, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)
छ.	छत्तीसगढ़	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला व बाल विकास निदेशालय तीसरा तल, ब्लॉक-ए, इंदिरावती भवन, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001

ज.	दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण बाल संरक्षण सेवाएं डी 1/4, सरकारी वर्क्स धोलार, मोती, दमन
झ.	दिल्ली	महिला एवं बाल विकास विभाग 5वां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
ञ.	गोवा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय कार्यालय, द्वितीय तल, पुरानी शिक्षा बिल्डिंग, 18 जून रोड, पणजी, गोवा-403001
ट.	गुजरात	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण गुजरात राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी गुजरात सरकार, ब्लॉक-19 तृतीय तल, पुराना सचिवालय डॉ. जीवराज मेहता भवन, सेक्टर-10/ए, गांधीनगर, गुजरात-282010
ठ.	हरियाणा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार बेस्ट नं. 15-20, सेक्टर-4, पंचकुला, हरियाणा
ड.	हिमालच प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय का कार्यालय हिमाचल प्रदेश, देवदार सदन हिमलैंड होटल के निकट, शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
ढ.	झारखंड	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग झारखंड राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी कार्यालय झारखंड सरकार, इंजीनियर होस्टल, द्वितीय तल, सेक्टर-3, धुर्वा, रांची, झारखंड-834004
ण.	कर्नाटक	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण निदेशालय बिल्डिंग गेट नं. 2, प्रथम तल, एम.एस. बिल्डिंग डॉ. अंबेडकर वीधी रोड बैंगलुरु, कर्नाटक-560001

त.	केरल	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग केरल सरकार, आईसीपीएस-सारा, पूजापुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल
थ.	मध्य प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय, विजपरोज वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स भोपाल-462001 (मध्य प्रदेश)
ड.	महाराष्ट्र	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, द्वितीय तल, महिला एवं बाल विकास कमिश्नरेट, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वींस गार्डन, पुराने सर्किट हाउस के निकट, पुणे-411001 (महाराष्ट्र)
ध.	मणिपुर	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण विभाग कार्यालय मणिपुर सरकार निदेशालय परिसर ए नॉर्थ ए.ओ.सी. एटी लाइन (द्वितीय एमआर गेट), इंफाल ए मणिपुर-795001
न.	मेघालय	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी कार्यालय, मेघालय सरकार ए लोवर लंचूमीचरी, हॉपकिंग्स रोड, शिलांग-793001, मेघालय
प.	मिजोरम	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण वेरडेंट रिज, हाउस नंबर 1-61/ई-1/बीए डंगलेना बिल्डिंग, ताइअसेना सेक्शन, लाइपुतिलंग, आइजोल, मिजोरम-796012
फ.	नागालैंड	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी कार्यालय, पी.आर. हिल्स, एस. पी. कार्यालय के निकट, एयर्स भवन, कोहिमा, नागालैंड-797001
ब.	ओडिशा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला एवं बाल विकास ए मिशन शक्ति भवन, गंडमुंडा, खंडगिरी, भुवनेश्वर, ओडिशा-751003

भ.	पुद्दुचेरी	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण निदेशालय कार्यालय, पुद्दुचेरी सरकार, नं. 1, सारादंबल नगर मेन रोड, इलईपिलईचवेडी, पुद्दुचेरी-605005
म.	पंजाब	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागए पंजाब सरकार, एस.सी.ओ. संख्या 102-103, सेक्टर 34ए, चंडीगढ़-160022
य.	राजस्थान	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण बाल अधिकार विभागए 20/198, कावेरी पथए सेक्टर-2, मानसरोवर जयपुरए राजस्थान
कक.	सिक्किम	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग, सिक्किम सरकार, पुराना वेस्ट प्लाईट स्कूल, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड के निकट, हंगरी जैक होटल के पास, गंगटोक, सिक्किम-737101
खख.	तमिलनाडु	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज सुरक्षा निदेशालयए तमिलनाडु सरकार, नंबर 300ए पुरसावालकम हाई रोड, केलीज, चेन्नई-600010, तमिलनाडु
गग.	तेलंगाना	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला विकास और बाल कल्याण विभाग निदेशालय 8-3-222, वेंगल राव नगरए राज्य होम परिसर, अमीरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना-500038
घघ.	त्रिपुरा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज और शिक्षा निदेशालय कार्यालय त्रिपुरा सरकार, उजन अबहोग नगर, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा-799005
डड	उत्तराखंड	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला कल्याण निदेशालय 29/20, नेमी रोड, ढलान वाला, देहरादून-248001, उत्तराखंड

च.च.	उत्तर प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला कल्याण निदेशक का कार्यालय महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, आठवां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश
छ.छ.	पश्चिम बंगाल	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण बाल अधिकार और तस्करी निदेशालय, शैशाली भवनए साल्ट लेक सिटी, सेक्टर-1, डीएफ ब्लॉक, कोलकाता-700064, पश्चिम बंगाल

नोट : संपर्क ब्यौरे कारा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

5.2 परिशिष्ट – ख :

केयरिंग्स पर पंजीकृत जिला बाल संरक्षण एककों (डीसीपीयूज) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत डीसीपीयूज की संख्या
(क)	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3
(ख)	आंध्र प्रदेश	13
(ग)	अरुणाचल प्रदेश	18
(घ)	असम	28
(ङ)	बिहार	38
(च)	चंडीगढ़	1
(छ)	छत्तीसगढ़	27
(ज)	दादर व नगर हवेली और दमन व दीव	0
(झ)	दिल्ली	10
(ञ)	गोवा	2
(ट)	गुजरात	33
(ठ)	हरियाणा	21
(ड)	हिमाचल प्रदेश	12
(ढ)	झारखंड	24
(ण)	कर्नाटक	30
(त)	केरल	14
(थ)	मध्य प्रदेश	51
(द)	महाराष्ट्र	35
(ध)	मणिपुर	9
(न)	मेघालय	13
(प)	मिजोरम	8
(फ)	नागालैंड	11
(ब)	ओडिशा	30

(भ)	पुदुचेरी	2
(म)	पंजाब	22
(य)	राजस्थान	33
(कक)	सिक्किम	4
(खख)	तमिलनाडु	32
(गग)	तेलंगाना	33
(घघ)	त्रिपुरा	8
(ङङ)	उत्तर प्रदेश	75
(चच)	उत्तराखंड	13
(छछ)	पश्चिम बंगाल	23
	कुल	676

नोट : जिला बाल संरक्षण एककों के संपर्क ब्यौरे हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

5.3 परिशिष्ट – ग

केयरिंग्स पर पंजीकृत विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएसएज) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत एसएसएज की संख्या
(क)	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
(ख)	आंध्र प्रदेश	14
(ग)	अरुणाचल प्रदेश	2
(घ)	असम	20
(ङ)	बिहार	25
(च)	चंडीगढ़	1
(छ)	छत्तीसगढ़	13
(ज)	दादर व नगर हवेली और दमन व दीव	1
(झ)	दिल्ली	12
(ञ)	गोवा	2
(ट)	गुजरात	16
(ठ)	हरियाणा	8
(ड)	हिमाचल प्रदेश	1
(ढ)	झारखंड	12
(ण)	कर्नाटक	31
(त)	केरल	17
(थ)	मध्य प्रदेश	31
(द)	महाराष्ट्र	56
(ध)	मणिपुर	9
(न)	मेघालय	6
(प)	मिजोरम	7
(फ)	नागालैंड	4
(ब)	ओडिशा	31
(भ)	पुदुचेरी	3
(म)	पंजाब	8

(य)	राजस्थान	35
(कक)	सिक्किम	3
(खख)	तमिलनाडु	22
(गग)	तेलंगाना	11
(घघ)	त्रिपुरा	9
(ङङ)	उत्तर प्रदेश	21
(चच)	उत्तराखण्ड	7
(छछ)	पश्चिम बंगाल	24
	कुल	463

नोट : विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों के संपर्क ब्यौरे हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

5.4 परिशिष्ट – घ

5.4.1 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएएज)

प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों का सार

प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएएज)		
क्र.सं.	देश का नाम	एएफएएज की संख्या
1	बेल्जियम	3
2	कनाडा	3
3	डेनमार्क	1
4	इथोपिया	1
5	फिनलैंड	1
6	फ्रांस	6
7	होंग कोंग	1
8	आइलैंड	1
9	आयरलैंड	1
10	इटली	10
11	लकजमबर्ग	1
12	माल्टा	4
13	नीदरलैंड	1
14	न्यूजीलैंड	2
15	सिंगापुर	1
16	दक्षिण अफ्रीका	1
17	स्पैन	4
18	स्वीडन	2
19	स्विटजरलैंड	1
20	यूनाइटेड किंगडम	1
21	संयुक्त अरब अमीरात	1
22	संयुक्त राज्य अमेरिका	16
23	नार्वे	2
	कुल	65

5.4.2 एएफएए का विवरण

क्रम सं.	देश का नाम	अभिकरण का नाम व पता	ई-मेल
1	बेल्जियम	ईफेंटस डी लेसपोर चिल्डरन ऑफ होप रूए डी मॉन्टिग्नी-13ए लेरेटेज पहला तल) 6000 चारलेरोएए बेल्जियम	N.foulon@skynet.be Nathaliefoulon07@gmail.com Enfantsestspoir@gmail.com
		रेय ऑफ होप (मर्जर विद जोय सोर्वस होप) कनापतनसरात 25ए 9160 लोकरेनए ब्रुसेल्सए बेल्जियम	Ray.of.hope.vzw@pandora.be
		फलानडर इंटरकंटरी ऍडोप्शन केयर (एफआईएसीडू स्टेशनसरात 80एए बी-2440 गिल ब्रुसेल्सए बेल्जियम	info@fiac-vzw.be
2	कनाडा	कॉर्नरस्टोन ऍडोप्शन एजेंसीए 360 बेली स्ट्रीटए सुइट 201 एजेक्सए ओट्टारियोए कनाडा एल1एस1पी1 कनाडो	Info@cornerstoneadoption.ca
		चिल्ड्रन ब्रिज इंटरनेशनल ऍडोप्शन कंस्लटेंट 1400 सीलडी एवेंन्यूए सुइट 221ए ओटावाए ओनटारियाए कनाडाए के2जी 312	Info@childrensbridge.com
		सनराईज फैमिली सर्विजज सोसाइटी रु102-107ए वेस्ट एसपलेनैडए नार्थ वैकूवरए बीसी वी7एम 3जे9ए कनाडा	Info@sunriseadoption.com Mary@sunriseadoption.com
		3	डेनमार्क
4	इथोपिया	मि. मेसफिन जेब्रीमरियम पी.ओ. बॉक्स 145180 एडिस अबाबाए इथोपिया मार्फत एम्बेसी ऑफ इंडिया अराडा डिस्ट्रिक्टए केबेले 13/14 हाउस नं 224ए पीबी नं. 528ए एडिस अबाबाए इथोपिया	mesgeb@gmail.com cons.addisababa@mea.gov.in
5	फिनलैंड	इंटरपीडिया आर.वाई एसेमामईहेंकाटू 4 बी/ स्टेशनकरलेसगाटन 4बीए फिन-0050 हेलसिगफेर फिनलैंड फ्रांस	ilona.korhonen@interpedia.fi eija.kiiskinen@interpedia.fi toimisto@interpedia.fi
6	फ्रांस	कंन्फेडरेशन फ्रासिस पोर एल ऍडोप्शन कोफा दू कमिटी डी मार्शीली ओईयूवरे डी ई ऍडोप्शन 12ए आरयूई बीईएल एयेर-13006 मार्शीली फ्रांस	odamarseille@wanadoo.fr
		ले रेयेंन डी सोलेल डी ई इंफेट ईट्रेन्जर 8बीआईएसए आरयूईए मारटेल 75010 पेरिस फ्रांस	Eedm.adopt@wandoo.fr

		लेस इंफेंटस डीई एल एसपेरेंसए 22ए एएलएलईईई पॉल इलूआर्ड-77420 चैम्पस एसयूआर मैरनी फ्रांस	soleil.rayon@wanadoo.fr rdsee.adoptioninde@gmail.com
		इंफेंटस डू मॉडे 87ए रु डे ला बेसस 59000एलआईएलएलई फ्रांस	suzannem.ede@gmail.com delacour@chello.fr mousette@hotmail.com
		एजेंसी फ्रांकेंसी डी एल ऍडोप्शन 19ए बोयूलेवर्ड हेनरी पअ 75004ए पेरिसए फ्रांस हांगकांग	edmfcontact@gmail.com edmfcontact@yahoo.fr
7	हांगकांग	इंटरनेशनल सोशल सर्विस छठा तलए सॉदरन सेंटरए 130 हैनेससी आरडी वनचाहीए हांगकांग	marine.marcon@agenceadoption.fr
8	आइलैंड	आइलैंडिक एडॉप्शन सोसायटी स्क्फोल्ड 50बीए 105 रेयकेजाविक आइलैंड	isshakbr@netvigator.com
9	आयरलैंड	हैल्पिंग हैंड ऍडोप्शन मेडिटेशन एजेंसी फॉग लॉगए फॉग लॉग हिल्स कोकए डब्लिन आयरलैंड	isadopt@simnet.is isadopt@isadopt.is
10	इटली	सेंट्रो ईटेलियनओयूटी ऑल एनफांजिया (सीआईएआईद्ध वाया बोरगिहीरा 6 20142 मिलानोए इटली	helpinghands.ama@gmail.com
		अंतराष्ट्रीय ऍडोप्शन एसोसिएशन फॉर द फैमिली एंड चाल्ड्रन वेल्फेयर वाया कटरिना 208/सी 33030 वीला प्रिमावीरा कमपोफोरमिडो (यूडीद्ध इटली	adozioni@ciai.it
		मिशनरि डेला कारीटा (मशिनरीज ऑफ चेरीटी) सलीटा डी एस ग्रेगोरीयो/एल सेलीयो एन1 00184 रोमीए इटली	info@internationaladoption.it
		आई बमबीनी डेल अरकोबालिनो एडोजीओनी इंटरनाजीओनाली 32013 लोगारोनी (बीएलद्ध इंटालीया वाया रोम 36/ए कोडीसी फिसकेले 93017430252ए इटली	bamperco@libertoit associazione@bambarco.it
		एसोसिएजीओन एमिकी टरेनटीनी ऑनलस बीएले डेगली ओएलमीए 26 38123 ट्रेनटोए इटली	amicitrentinitezze@valsugana.com trento@amicitrentini.it

		एसोसिएजीओन इटालिआना प्रो एजोजीओनी (एआईपीएद्ध सेडे सोसीएला वाया फ्रेसेको डीओडो 10-000136ए रोमाए इटली	info@aipaweb.it aipamail@tin.it
		ला प्रीमोजेनिटा इंटरनेशनल ऍडोप्शन वाया फिओरीनी 6/ए 29100 पीयासीएनजा इटली	amicidb@tin.it anna.piacenza@laprimogenita.it
		मेहाला एसोसिएशन चाइल्ड एंड फैमिली-ऑनलस एसोसिएजीयोन मेहाला ऑनलसए वाया केम्पीए 64-23807ए मेरेटे (एलसीद्ध	adozioni@mehala.org info@mehala.org
		फैमिगलीया एनसीएमी ऑनलस लाजो एमबा एराडेम 1ए रोम 00184ए इटली	cooperativa@famigliainsieme.org
		एमिकी मिशीओनी इंडेनेन ओनलेस वाया आल्डो मोरो 7-20090 बूकीनेस्को (एमआई)ए मिलान इटली	adoz_india@amiweb.org ami@amiweb.org
		एसोसिएशन मरियाना ऑनलेस वाया ए डीआजए 92 केसोरियाए एनएए इटली	cifa.torino@cifaong.it
		सीआईएफए ऑनलेस सेंट्रो इंटरनाजाईनलेन फेमिजी प्रो एडोजीओन इंटरनेशनल सेंटर फोर चिल्डरन एंड फैमिली वाया यूगो फोस्कोलो 3ए 10126 टूरीनए टूरीनोए इटली	aiaem@pt.lu
		एसोसिएशन लो स्कोइयाटोलो ओनलस इंटे ऑटोरीजेटो पेर ले अदीजोनी इंटरनेशनली सेदे सेंट्राले कोरसो डेल पोपोली 69 रोम 00154ए इटली	info@agenzijatama.com
		फैमिलीया इनसाइन डीऐड वाया प्रोसप्रेसो अल्पिनो 69 रोम 00154ए इटली	appogg@gov.mt
11	लकजमबर्ग	एमीकेल इंटरनेशनल डीऐड एल इफेंन (आईआई) एल-8140 ब्रीडेल, 71, आरयूई डे लकजम्बर्ग गेंड डूची, लकजमबर्ग	dona.thapa@gov.mt
12	माल्टा	अजीनजीजा तामा 1, तरीक प-बाजादा कोर्मि, माल्टा	beyondbordersadoptions@gmail.com
		अजीनजीजा अपोग 36, तरीक सेन ल्यूक जी मान्या पीटीए 1318, माल्टा	info@wereldkinderen.nl dobken@wereldkinderen.nl

13	नीदरलैंड	वरलडकिनडेरेन (द नीदरलैंड इंटर-कंटरी चाइल्ड वेफेयर ऑरगनाईजेशन) रिओवसतरेत 191, 2585 एचटी, डेन हैग, द नीदरलैंड	office@icanz.gen.nz
14	न्यूजीलैंड	इंटरकंन्ट्री एडोप्शन न्यूजीलैंड (आईसीएएनजीड्व पीओ बॉक्स 62-660 ग्रीनलैंड ऑकलैंड 1546 न्यूजीलैंड	cfo@paradise.net.in victoria.mausatova003@cyf.govt.nz enquiries@cfo.org.nz
		एडोप्शनजन्स फोरम (एडोप्शन फोरम) पोस्ट बॉक्स 2364 सोली, 0201, ओस्लो बेसकेसाड्रेसे इकोजीतोगी, 17 नार्वे	adopsjon@verdensbarn.no fadderskap@vedensbarn.no
15	नार्वे	वेरडेन्स बारन (चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड) बोगस्टेडवेईन 27 बी, 0355 आसलो, नार्वे	info@adopsjonsforum.no amv@adopsjonsforum.no
		एडोप्सजोन्स फोरम (एडोप्शन फोरम) पोस्ट बॉक्स 2364 सोल्ली, 0201 ओसलो बेस्कसाड्रेसी : इनकोग्निटोग्ट, 17 नार्वे	welfare.singapore@mea.gov.in
16	सिंगापुर	मिस जीवा 133 लोरेंग के, टेलोक कुराउ रु 01-01 सिंगापुर-425770 भारतीय उच्चायुक्त 31, ग्रेन्ज रारेड, सिंगापुर-239703	adoptions@mweb.co.za
17	दक्षिण अफ्रीका	कैथोलिक वूमन लीग एडोप्शन सोसाइटी, मार्गरेट हाउस, 33 रॉबर्ट्स एवेन्यू, केंसिंग्टन 2094, पी.ओ. बॉक्स 66121, ब्रॉडवे 2020, दक्षिण अफ्रीका	nsf.cwf@nsf-cwf.org
18	स्पेन	निनस सोन फ्रंटनरस चिल्ड्रेन विदआउट फ्रंटनरस एविडा, यूरोपा न. 34, ब्लॉक्यू-बी, ईएससी, डेरेचा 10 इजिक्वेरिडा-28023 अरवाका-मैड्रिड-स्पेन	asocnamaste@terra.es namaste.es@gmail.com
		नमस्ते जएसोसिएशन) अरागानोइसाट पारा ली प्रोमोसीन दी ला इफासी;ाट सी /ओ 79, 81, 2डी 50001 जारागोजा अस्पेन)	info@yamuna.org
		यमुना एसोसिएशन चिल्ड्रेन आइड सी/पेरिस, 97, लोकल-2-08029-बर्सिलोना, स्पेन	bertranr@icab.es balbalika@lycos.es mmonla@ecaibalbalika.com informacio@ecaibalbalika.com rbertranp@gmail.com
		ईसीआई, बाल बालिका इंटरनेशनल एडोपसन ईनरिक बोरस एन 30 बजोस, 08912, बदालोना बर्सिलोना, स्पेन	info@adoptionscentrum.se monica.lind@adoptionscentrum.se

19	स्वीडन	एडोपसनसीनट्रोरम बॉक्स-11139 161 11 स्टोकहोलम स्वीडन	adoption@bfa.se katarina@bfa.se
		चिल्ड्रेन एबब अल एडोपसन एनरगीगटने, 11, एस-43437 कून्गसबक्का स्वीडन	adoption@ffia.se Monica.Samuelson@ffia.se
20	स्विट्जरलैंड	फाउंडेशन इनफेंन्स- ईसपोर मैडमे हेल्गा नेई- 1053, ब्रेटीगनी स्विट्जरलैंड	mariene.hofstetter@tdh.ch rlu@tdh.ch ruth.luget@tdh.ch adoption@tdh.ch mho@tdh.ch info@tdh.ch
21	संयुक्त अरब अमीरात (यूएए.ई)	ओमना मीनन पी.ओ. बॉक्स नं. 24202 दुबई (यूएई.ई)	helga.ney@worldcom.ch priti_aeschbacher@yahoo.com
22	ूनाइटेड नकगडम जयूके)	इंटरकन्ट्री एडोपसन सेंटर 22 यूनियन स्ट्रीट, बारनेट, हटर्स, इन एन5 4एच यूनाइटेड किंगडम	omanamenondubai@gmail.com
23	संयुक्त राज्य अमेरिका	नाइटलाइट क्रिश्चियन एडॉप्शन (मर्ज विद लब बास्केट एडॉप्शन) 4430 ई मिरालोमा एवेन्यू, सुइट बी, अनाहेम हिल्स सीए 92807, यूएसए	gillhaworth@icacentre.org.uk info@icacentre.org.uk
		चिल्ड्रेन हाउस इंटरनेसनल पी.ओ. बॉक्स 1829, (5711, विस्टा, सुइट 101 ए) फर्नडेल, डब्ल्यू ए 98248, यूएसए	daniel@nightlight.org stephanie.miller@nightlight.org
		चिल्ड्रेन होम सोसाइटी व फेमिली सरबीस, 1605 यूस्टिस स्ट्रीट संत पॉल, एमएन 55108-1219, मिनेसोता 55082, यूएसए	chi4adopt@aol.com
		होप एडोप्शन और फेमिली सरबीस इंटरनेशनल आईएनसी 5850 ओमाहा एवेन्यू नोरथ ओके पार्ट हाईस्ट मिनेसोता 55082, यूएसए	india@chsfs.org molly.rochon@chlss.org
		बाल जगत चिल्ड्रेन वर्ल्ड इंक 5199 ईस्ट पेसफिक कोस्ट हाईवे सुइट 204, लॉग बीच कैलिफोर्निया 90804 यूएसए	hope@hopeadoptionsservices.org nspader@hopeadoptionsservices.org

चिल्डरन ऑफ द वर्ल्ड आईएनसी, 19940 ईस्ट एसपेसिफिक कोर्डस्ट हार्डवे, सुइटरु 204 लॉग बीच केलीफोर्निया 90804 यूएसए	baljagat@verizon.net hemlata@baljagat.org
द बार्कर फाउंडेशन 7979 ओल्ड जॉर्जटाउन रोड, प्रथम तल, बेथेस्डा, एमडी 20814, यूएसए	reggie@childrenoftheworld.com pat@childrenoftheworld.com patalsuplee@gmail.com Teresa@childrenoftheworld.com
डीलन इंटरनेशनल आईएनसी 7335 एस लिविस एवेन्यु, सुइट 302, तुलसा, ओके 74136, यूएसए	mregier@barkerfoundation.org info@barkerfoundation.org BBetz@barkerfoundation.org
इंटरनेशनल क्रिश्चियन एडॉप्शन 41745 राईडर वेय, रु2, टेमुकुला सीए 92590, केलीफोर्निया, यूएसए	info@dillonadopt.com tami@dillonadopt.com jynger@dillonadopt.com maryanne@dillonadopt.com
मैसर्स अमेरिका वर्ल्ड एडॉप्शन एसोसिएशन आईएपीसी 6723 वाहितियर एवेन्यु सुइट 202 मेलेअन, 22101, यूएसए	CascadeICS@aol.com info@4achild.org
एक्रोस द वर्ल्ड एडॉप्शन 399 टेलर बीएलवीडी, सुइट 102 पीलीजेंट हिल, केलीफोर्निया 94523, यूएसए	brain.luwis@awaa.org lisa.adamsreese@awaa.org
इंटरनेशनल एडॉप्शन नेट 7500 ई एरापाहोई रोड एसटीई रु250 केनटेनियल, को 80112 यूएसए	adopt@adoptionassociates.net
लाइफलाइन चिल्ड्रेन सिवर्सिस 2104 रोकी रिज रोड बीरमिन्घम, एएल 35216 यूएसए	adopt@atwakids.org
फ़ैथ इंटरनेशनल एडॉप्शन 1105 टाकोमा एवेन्यु, साउथ टाकोमा, डब्ल्यू ए 98402	info@adoptioninternational.net Joan@internationaladoptionnet.org
एडॉप्ट इंटरनेशनल, यूएसए	lifeline@lifelineadoption.org jessica.oetting@lifelinechild.org

5.5 परिशिष्ट ड :

कारा द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र/परामर्शिका



Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



शाल्यमेव जयते

सं. कारा-विविध/14/2020-कारा

दिनांक: 17/08/2020

No.....

Date.....

परामर्शिका

विषय: बेहतर नियोजित रीति में तत्काल स्थानन (आईपी) श्रेणी में बड़े बालकों का पुनर्वास।

सेवा में,

सभी राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण
सभी जिला बाल संरक्षण एकक
सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण

यह दिनांक 09/10/2017 और 20/06/2018 के परिपत्र सं. 1-11-2018-जेडी/परि. के क्रम में है। यह देखा गया है कि तत्काल स्थानन पोर्टल से आरक्षित बड़े बालकों की विच्छिन्नता और विघटन बढ़ रहे हैं और इस तथ्य को कारण माना जा सकता है कि ऐसा बालकों तथा भावी दत्तक माता-पिताओं के परामर्श एवं तैयारी के अभाव के कारण होता है। बड़े बालकों को दत्तक ग्रहण के लिए तैयार करना होगा और उन्हें तत्काल स्थानन (आईपी) के माध्यम से अथवा सामान्य रैफरल के माध्यम से दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध कराने से पहले परामर्श देना होगा।

2. भावी दत्तक माता-पिता को भी अच्छी तरह से परामर्श दिया जाना चाहिए। आदर्शतःए उन्हें दो से अधिक गृह दौरे और दो से अधिक परामर्श सत्र उपलब्ध कराए जाएं यदि ऐसे भावी दत्तक माता-पिता बड़े बालकों का दत्तक ग्रहण करना चाहते हैं। भावी दत्तक माता-पिता को सभी मुद्दों जिनका बड़े बालकों का दत्तक ग्रहण करते समय वे सामना कर सकते हैं और ऐसे मुद्दों से निपटने के तरीके के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। (कृपया केयरिंग्स पर दत्तक ग्रहण के लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) तैयार करने तथा भावी दत्तक माता-पिता (पीएपीज) के परामर्श के लिए दिशा-निर्देशों संबंधी दिनांक 03/10/2019 के परिपत्र का संदर्भ ग्रहण करें (प्रति संलग्न)।

3. दत्तक ग्रहण समिति को आईपी श्रेणी में बड़े बालकों को भावी दत्तक माता-पिता से मिलान करते समय अधिक कर्मिष्टता बरतने के लिए सशक्त बनाए जाने की जरूरत है। उन्हें बड़े बालकों के दत्तक ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की तैयारी और अभिप्रेरण देखना चाहिए। यह विशेषकर तब प्रासंगिक होता है जब भावी दत्तक माता-पिता ने केयरिंग्स पर पंजीकरण करते समय किसी छोटे बालक के लिए विकल्प दिया हो और रैफरल के लिए प्रतीक्षा करते समयए आईपी श्रेणी से बड़े बालकों को आरक्षित करते हैं।

4. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण आईपी श्रेणी में बड़े बालकों के लिए स्थानीय स्तर पर परिवारों का पता लगाने के लिए एवं बालक देखरेख संस्थाओं और विशेषज्ञ संबद्ध दत्तक ग्रहण अभिकरणों के साथ-साथ जिला बाल संरक्षण एककों को निर्देश दे सकते हैं क्योंकि कारा ने भावी दत्तक माता-पिता को अवलोकनीय ऐसे बच्चों की सूची तैयार की है। बड़े बालकों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिएए राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण अपने राज्यों में आईपी श्रेणी से बालकों के दत्तक ग्रहण के लिए इच्छुक उपयुक्त भावी दत्तक माता-पिता से संपर्क करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-

(संजय बर्शीलिया)
निदेशक, कारा

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.carahdesk.org
Ministry of Women & Child Development
Government of India
परिपत्र संख्या-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली (New Delhi)-110066



Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संविधिक निकाय)



No.....1-11-2018/JD/Cir

Date: 20.06.2018

सेवा में,
सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएएज)

परिपत्र

विषय: दत्तक ग्रहण पूर्व पालन-पोषण देखरेख में भावी दत्तक माता-पिता के साथ स्थानन किए गए बालकों की वापसी/विच्छेदन पर विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों द्वारा रिपोर्ट करना।

1. पिछले कुछ समय से, विच्छेदन की कुछ घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं जिनमें दत्तक-पूर्व पालन-पोषण देखरेख में लिए गए बालकों को घरेलू भावी माता-पिता द्वारा वापस कर दिया गया है। ऐसा बाल देखरेख संस्थाओं से बड़े बालकों के मामले में अधिक है जो दत्तक ग्रहण के लिए बालकों को परामर्श नहीं देती है और तैयार नहीं करती हैं। इस संबंध में दिनांक 09 अक्तूबर, 2017 की फा.सं. 1-11-2017/जेडी/परि. द्वारा एक परिपत्र पहले ही जारी किया जा चुका है (इसकी प्रति संलग्न है)।
2. आवश्यक सुधार करने के लिए दत्तक परिवारों से बालकों की ऐसी वापसी/विच्छेदन के पीछे कारणों/कारकों को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
3. आगे से, सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों को किसी भी विच्छेदन के घटित होने पर संलग्न प्रपत्र में दत्तक-पूर्व पालन पोषण देखरेख वाले भावी माता-पिता/दत्तक परिवारों से बालकों की वापसी/विच्छेदन के संबंध में सूचना देने का निदेश दिया जाता है।

हस्ता/-

(डी.डी. पाण्डेय)

संयुक्त निदेशक, कारा

प्रति:

सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
पश्चिमी खंड-8ए विंग-2ए द्वितीय तलए आर.के. पुरमए नई दिल्ली

फा.सं. 1-11-2017/जेडी/परि.

दिनांक:- 09.10.2017

परिपत्र

विषय:- चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, मिलान प्रक्रिया और विच्छेदन से संबंधित मुद्दे।

सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएएज) का ध्यान देश में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर दिलाया जाता है:

- क. सामान्यतः यह होता है कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत रेफर किए गए बालक को चिकित्सीय समस्याएं होती हैं, जिनका उल्लेख चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट में नहीं होता है और जब बालक की अभिरक्षा लेने के लिए माता-पिता आते हैं, इनका पता अनुपूरक जांचों से चलता है। ऐसे मामलों में, दत्तक ग्रहण अभिकरण (सरकार द्वारा संचालित अथवा गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित एसएए दोनों) द्वारा माता-पिता के चिकित्सा प्रभारों तथा यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी यदि वे शिथिलता के लिए उत्तरदायी हैं। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- ख. चूंकि दत्तक परिवारों के साथ बड़े बालकों का समेकन सामान्यतः अधिक समय लेता है, सभी एसएएज को दत्तक माता-पिता के साथ बड़े बच्चों के जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रभावी करने की जरूरत है। इस संबंध में, सभी एसएएज से तीन वर्ष से अधिक आयु के बालक को स्वीकार करने से पहले बालक की कम से कम दो बैठकों की अनुमति देना अपेक्षित है।
- ग. इसके अलावा, देश के भीतर दत्तक-ग्रहण के विच्छेदन के मामले में, सभी एसएएज को माता-पिता को बालक वापस करने की अनुमति देने से पहले, दत्तक माता-पिता और बड़े बालक के कम से कम दो परामर्श सत्र सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया जाता है। किसी भी मामले के निर्णय के लिए बालक का सर्वोत्तम हित सदैव प्रधान सरोकार रहेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह./-

(जगन्नाथ पति)

संयुक्त निदेशक

सेवा में,

- 1- सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण।
- 2- सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण-कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और एसएएज द्वारा इसकी अनुपालना की कठोर निगरानी करने के लिए जिला बाल संरक्षण एककों को आगे परिचालित करने हेतु।
- 3- बाल कल्याण-एफ महिला एवं बाल विकास विभाग- सूचनार्थ।

भावी दत्तक माता-पिता/दत्तक परिवारों से बालकों की वापसी/विच्छेदन पर एसएए द्वारा
रिपोर्टिंग हेतु प्रारूप

- 1- बालक/बालकों का नाम/लिंग/जन्म तिथि :
- 2- केयरिंग्स पंजीकरण सं. :
3. एसएए का नाम :
4. पीपीएज/एपीज का नाम और पता :
5. पीपीएज का केयरिंग्स पंजीकरण संख्या और तारीख :
6. एसएए/सामाजिक कार्यकर्ता का नाम एवं पता जिसने पीपीएज की गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) तैयार की है (एचएसआर की प्रति संलग्न करें)
7. बड़े बालक के मामले में बालक(कों) और पीपीएज की की गई तैयारी (मिलान की अवधि के दौरान दत्तक ग्रहण पूर्व परामर्श एवं सुपरिचितता)
8. तारीख जिसको पीपीए ने बालक को दत्तक पूर्व पोषण देखरेख में लिया था (दत्तक पूर्व पोषण देखरेख की प्रति संलग्न करें)
9. दत्तक ग्रहण आदेश सं. और तारीख (जहां कहीं लागू होए प्रति संलग्न करें)
10. बालक के साथ पीपीए(एस) के सामंजस्य मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख करें :
11. बालक/बालकों के साथ कब से पीपीए (एस) को सामंजस्य की समस्या है :
12. सामंजस्य मुद्दों का समाधान करने के लिए पीपीए(एस) द्वारा उठाए गए कदम :
13. क्या पीपीए(एस) ने सामंजस्य मुद्दों का समाधान करने के लिए बालक/बालकों के लिए अपने परामर्श की मांग की थी यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें (परामर्श रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें) :
14. भावी दत्तक माता ने सामंजस्य की समस्या की एसएए को जहां से बालक का दत्तक ग्रहण किया गया था रिपोर्ट कब की थी (पीपीए के पत्राचार की प्रति संलग्न करें) :
15. क्या दत्तक पश्च अनुवर्ती रिपोर्टों में सामंजस्य मुद्दों को उठाया गया था। यदि हाँ तो ऐसी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें (जहां कहीं लागू हो):
16. बालक/बालकों के दत्तक पश्च अनुवर्तन के दौरान सामंजस्य मुद्दों के समाधान से संबंधित एसएए/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किए गए प्रयास(सों) का ब्यौरा :
17. क्या एसएए/सामाजिक कार्यकर्ता (एचएसआर/अनुवर्ती रिपोर्ट तैयार करने वाले) विच्छेदन के लिए उत्तरदायी कारणों/कारकों और बालक के साथ सामंजस्य के लिए पीपीएज द्वारा किए गए प्रयासों से सहमत है यदि नहीं तो असहमति के बिंदुओं का उल्लेख करें) :

18. क्या संबंधित डीसीपीयू से (जिसके अधिकार क्षेत्र में पीपीए(एस) वर्तमान में निवास कर रहा है/हैं) विच्छेदन पर स्वतंत्र रिपोर्ट प्राप्त की गई है यदि हाँ तो ऐसी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें :
19. विचाराधीन विच्छेदन पर एसएए (जिसने बालक को दत्तक ग्रहण में दिया था) के विचार :
20. न्यायालय आदेश के बाद हुए विच्छेदन के मामले में उल्लेख करें कि क्या न्यायालय के आदेश द्वारा जिसने दत्तक आदेश परित किया था दत्तक ग्रहण को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है :
21. क्या दत्तक परिवार से उसकी वापसी के बाद एसएए द्वारा बालक/बालिका का समुचित परामर्श कराया गया है/कराने की व्यवस्था की गई है यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें :
22. बालक का वर्तमान पता और उसकी स्थिति (शारीरिक/स्वास्थ्य मानसिक भावनात्मक शैक्षणिक आदि) :
23. बालक के पुनर्वास हेतु योजना :





Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



63-36/2018/डिस्ट्रिब्यूशन/कारा/एमपी

03/10/2019

No.....

परामर्शी सूचना

Date.....

विषय: दत्तकग्रहण के संबंध में गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) की तैयारी एवं समाहित दत्तकग्राही माता-पिता (पीएपी) के परामर्श हेतु दिशा-निर्देश

सेवा में,

समस्त राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण,
समस्त जिला बाल संरक्षण एकक,
समस्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण

समाहित दत्तकग्राही माता-पिता (पीएपी) को परामर्श देना एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) तैयार करना किसी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया का अत्यंत संवेदनशील हिस्सा होता है। यह केवल प्रश्नोत्तर मात्र नहीं होता है अपितु जानकारी साझा करने की द्विस्तरीय प्रक्रिया भी है जो समाहित माता-पिताओं को अभिभावक बनने के लिए तैयार करेगी।

गृह अध्ययन दौरा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के लिए एक ऐसा अवसर भी है जिससे वे समाहित दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता और उत्सुकता जान सकें। चर्चा के माध्यम से जैविक बच्चे से विहीन दत्तक माता-पिता को भावनात्मक रूप से सशक्त करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर गृह अध्ययन दौरा करे एवं रिपोर्ट तैयार करे :

क) गृह अध्ययन रिपोर्ट समाहित दत्तक ग्राही माता-पिता की बच्चे को गोद लेने की उपयुक्तता एवं उत्सुकता के आकलन करने हेतु तैयार की जाती है।

ख) गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह तथ्यात्मक जानकारी से आगे जाकर यह समझे कि आकलन के दौरान उसे क्या दिखाई दे रहा है। आदर्श रूप से, समाहित दत्तक माता-पिता का केवल साक्षात्कार ही नहीं बल्कि एक से अधिक बार घर का दौरा किया जाना चाहिए।

ग) सबसे पहला कदम "मैल-जोल बढ़ाने" एवं यह सुनिश्चित करने का होना चाहिए कि समाहित दत्तक माता-पिता दो-तरफा परिचर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है।

घ) गृह अध्ययन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को हर समय "बच्चे पर केंद्रित" रहना है। यह अध्ययन बच्चे की जरूरतों के बारे में है न कि माता-पिता की जरूरतों के बारे में। *ऐसा बच्चा जिसे एक घर की जरूरत है के लिए एक उपयुक्त परिवार ढूँढना है नाकी ऐसे माता-पिता के लिए उपयुक्त बच्चा ढूँढना है जिसका एसएसआर के दौरान साक्षात्कार लिया जा रहा है।*

ड. समाहित दत्तक माता-पिता एवं उनके आकलन को समझने के लिए सुझाई गई कार्य-प्रणाली:

क) माता-पिता का संवेदनशीलता, करुणा, विंता एवं नैर-आलोचनात्मक मनोभाव वाला दृष्टिकोण हो।

ख) समाहित दत्तक माता-पिता के गोद लेने के निर्णय के उपरांत उन्हें बहुत भावनात्मक मदद की आवश्यकता होती है। व्यग्रता, चिंता, अनिश्चितता, संदेह, अपराधबोध एवं कई ऐसी अन्य भावनाएं होती हैं (जैसे जैविक बच्चा पैदा करने में अक्षम होना या किसी जैविक बच्चे को खोना) उसे व्यक्त करने दें व उस पर चर्चा करें।

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110086 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

-2-

- ग) उनकी अपनी संतान न होने के बारे में उनकी स्वयं की भावनाओं को समझाने में संभावित दत्तक माता-पिता की सहायता करें। इस बात पर सबसे अधिक जोर दें कि यह अयोग्यता नहीं है बल्कि सामान्य बात है एवं उन्हें परमर्श प्रक्रिया द्वारा इस पर चर्चा करने व इसे स्वीकार करने में उनकी सहायता करें।
- घ) स्वभाव व पोषण की भूमिका समझाने में माता-पिता को सहायता करें - उन्हें यह बतायें कि वृद्ध-परंपरा के गुण-दीर्घ व माहौल दोनों ही बच्चे के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात पर जोर दें कि बच्चे को पोषण और खुशनुमा मातावरण प्रदान करने की उनकी योग्यता बच्चे के जीवन में लाभदायक एवं प्रभावी होगी चाहे जन्म के समय स्वभाविक गुण कुछ भी रहे हों।
- ङ) एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं निर्णय लेने के संबंध में वैवाहिक संबंधों का आकलन करें, वैवाहिक स्थायित्व का आकलन करें यह जानने का प्रयास करें कि उनका पारस्परिक रूप से एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक संबंध है। विवाह पर चर्चा के लिए अलग समय दें।
- च) पति-पत्नी के बीच संबंधों में कलह के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाएं एवं यह जानने की प्रयास भी करें उन्होंने अपने मतभेदों को कैसे सुलझाया है (इससे यह अंदाजा होगा कि वे बच्चे का लालन-पालन करने में एक-दूसरे की स्थितियों से कैसे निपटेंगे)।
- छ) उनकी स्वयं के बचपन व उनके माता-पिता और भाई-बहनों के संबंधों की महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करें।
- ज) परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते के बारे में पता लगाएं जैसी कि माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, पारिवारिक मित्र इत्यादि।
- झ) यह गृह अध्ययन रिपोर्ट केवल एक दस्तावेज नहीं है जिसमें 'हाँ' और 'नहीं' जैसे उत्तर हों। यह प्रारूप में दिने गटे विकल्पों पर केवल टिक न करें एवं हमेशा 'लागू नहीं' जैसे विकल्पों के प्रयोग से बचें। उत्तर पूरी तरह से समझ में आने लायक स्पष्ट व विश्लेषणात्मक हों। रिपोर्ट में संभावित दत्तक माता-पिता की गेट लेने की उत्सुकता एवं उपयुक्तता के बारे में मूल्यांकन भी शामिल हो।
- ड) बच्चे के साथ मोद लेने की तथ्य को साझा करने (जिसे प्रकटीकरण कहा जाता है) पर संभावित दत्तक माता-पिता के साथ परिचर्चा गृह अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भले ही ऐसा करना जल्दबाजी लग सकता है परंतु इस बात पर जोर देना अत्यंत आवश्यक है कि माता-पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह बच्चे के साथ इस जानकारी को स्वयं साझा करने के लिए कैसे तैयार होंगे। इसे सहरी सोच से, गलती से या असावेदनशीलता से कभी न होने दें। उन्हें यह समझायें कि एक सावेदनशील माता-पिता का बच्चे के साथ रिश्ता सच्चाई, ईमानदारी व विश्वास पर आधारित होना चाहिए नाकि निरंतर इस तरह के साथ की बच्चे को 'पता चल जाएगा' का नहीं हो। यह भी ध्यान दें कि ऐसा खुलसा बच्चे की परिभक्षता व उसकी उत्सुकता के आधार पर उचित समय पर किया जाए। ऐसे स्थिति को समालने के लिए व्यावसायिक परामर्श सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है।
- ढ) माता-पिता को इस तथ्य के प्रति तैयार करें कि बच्चे को मोद लेने के बाद के चरण में, बच्चा 'अपने मूल माता-पिता की खोज' की आवश्यकता व्यक्त कर सकता है। उन्हें परामर्श दें कि यह एक उसकी वैध आवश्यकता व बच्चे का अधिकार है तथा उन्हें यह तथ्य भी बतायें कि जेजे अभिनियम में इस तरह की खोज का प्रावधान है। माता-पिता को उनकी चिंताओं व व्यग्रताओं के बारे में परामर्श प्रदान करें।
- ड) गृह अध्ययन के दौरान संभावित दत्तक माता-पिता को परामर्श देकर तैयार करें कि उन्हें भेजे गये बच्चे को 'अतीत' को जानना व स्वीकार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभावित दत्तक माता-पिता को यह भी समझायें कि बच्चा एक भावनात्मक, मनीषज्ञानिक या शारीरिक आधार से गुजरता है उसी दौर, समझ व धार, देखभाल और स्वीकार्यता की बहुत आवश्यकता होगी। यह उन बच्चों पर भी लागू होता है जो बच्चे मोद की प्रक्रिया के समय

-3-

बड़े होते हैं, पिछली यादें उनके मानस पटल या मन पर गंभीर आघात छोड़ सकती हैं। संवेदनशीलता एवं चैतन्य पूर्वक पालन-पोषण, परामर्श एवं अन्य सहायता में यह दिशा-निर्देश सफलतापूर्वक निवारण कर सकता है।

क) यह माता-पिता जिनके जैविक बच्चे हैं फिर भी बच्चे को गोद लेने का समझावारी बरा निर्णय लिया है, माता-पिता के साथ बच्चे को गोद लेने एवं माता-पिता को उनके साथ समान व्यवहार करने, उनकी विशिष्टता व मतभेदों को स्वीकार करने में माता-पिता की उत्सुकता व बच्चे को गोद लेने की प्रेरणा पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। यह उनमें बच्चे को गोद लेने के प्रति अधिक उत्सुकता पैदा करेगी।

ग) यदि माता-पिता ने सिस्टम पर लिंग, आयु अथवा राज्य के अपने विकल्प को बदल दिया है तो इसके कारणों पर चर्चा करें। आदर्श रूप से इसका कारण बच्चे को जल्द से जल्द प्राप्त करने का ही होना चाहिए बल्कि परिवार में बच्चा कैसे समायोजित हो, ये होना चाहिए।

द) यदि संगठित दत्तक माता-पिता तत्काल फ्लैसमैट वर्ग से बच्चा चुनना चाहता है जबकि उनका पंजीकरण सम्मन्य रेफरल का है तो संगठित दत्तक माता-पिता को सम्यक जांच व सम्यक मूल्यांकन की आवश्यकता है। गृह अध्ययन रिपोर्ट में इन माता-पिताओं की उपयुक्तता का आकलन व तत्काल फ्लैसमैट वर्ग से बच्चे चुनने में उनके विकल्प के कारणों का अद्यतन किया जा सकता है।

घ) यह स्मरण रखना निरंतर आवश्यक है कि माता-पिता व बच्चे के सदर्भ में बात करते समय व गृह अध्ययन रिपोर्ट लिखते समय हमेशा "गोद लेने के प्रति सकारात्मक भाषा" का प्रयोग करें।

च) यह समुचित रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना गोद लेने की सफलता के प्रति कितना महत्वपूर्ण है। एसएए द्वारा सभी दस्तावेजों का उनकी उपयुक्तता व प्रामाणिकता के लिए अच्छी तरह से जांचा व सत्यापन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

4. इस परामर्शी सूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण व जिला बाल संरक्षण एकक के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया जाय ताकि वे संगठित दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन व गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के दिशानिर्देशों के तौर पर आसानी से इसका उपयोग कर सकें।

संज्ञ

राजय बशीलिया
निदेशक, कोश
राजय बशीलिया / Sanjay Bhasalia
Principals / Director
केन्द्रीय दत्तक-संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
मिनीस्ट्री ऑफ वूमन & चिल्ड्रन डेवलपमेंट
Ministry of Women & Child Development
गोवर्नमेंट ऑफ इंडिया
Government of India
ए-2, 2nd Floor, 1st Wing
A-2, Wing-2, 2nd Floor, 1st Wing
New Delhi-110002



Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक - ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



सं./No.....

दिनांक / Date.....

परिपत्र सं. कारा-आईसीए/10/2020.निदेशक (कम्प्यूटर सं. 873900)

दिनांक : 04.08.2020

विषय : कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

सेवा में,

सभी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए) / केन्द्रीय प्राधिकरण / भारतीय राजनयिक मिशन (आईडीएमएस)


प्रिय एएफएए/आईडीएम/सीएए

1. कृपया अभिभावी कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन और सामाजिक दूरी उपायों के दौरान दत्तक पत्र रिपोर्टों और गृह अध्ययन रिपोर्टों के संबंध में कारा द्वारा दिनांक 11 मई 2020 को जारी परिपत्र का संदर्भ ग्रहण करें।
2. उसी के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 09 मई 2018 के परिपत्र सं. कारा-आईसीए012/3/2017 के अनुसार केयरिंग्स पर पीपीएज के पंजीकरण हेतु मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एक अनिवार्य दस्तावेज़ है।
3. मौजूदा कोविड महामारी के कारण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया जिस पर सामाजिक दूरी उपायों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया। तथापि उनकी केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एवं जांच जारी रखने के उद्देश्य से पीपीएज द्वारा क्लिनिकल सिटिंग में मनोवैज्ञानिक के साथ आमने-सामने कम से कम एक व्यक्तिगत बैठक की जा चुकी हो।
4. यदि क्लिनिकल सिटिंग में मनोवैज्ञानिक के साथ कोई व्यक्तिगत बैठक नहीं हुई है तो केयरिंग्स पर पीपीएज के पंजीकरण के भाग के रूप में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन अथवा ऑनलाइन मूल्यांकन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ह/---

संजय बर्शीला
(निदेशक-कारा)

2020–2021 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े



वर्ष 2020–2021 हेतु
(31 मार्च, 2021 को समाप्त)
केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,
नई दिल्ली
के लेखापरीक्षित खातों के संबंध में
सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट



सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
Office of the Director General of Audit (Health, Welfare and Rural Development)

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

पत्र संख्या: AMG-II/4-14/SAR/CARA/2021-22/

दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001.

विषय : केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रही हूँ।

यह प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए जाए, इस कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124 को प्रेषित की जाये।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

अनुलग्नक: यथोपरि

डायरी नं. 230 / Date: 23.2.22
दिनांक: 23.2.22
केन्द्रीय-दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार, Government of India
रिश्तना गण्डक, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Vest Block-3, Ministry of Women & Child Development, Puran
नई दिल्ली

भवदीया,

- ६०/-
निदेशक (ए.एम.जी.-II)

पत्र संख्या: AMG-II/4-14/SAR/CARA/2021-22/ 859


दिनांक: 25 FEB 2022

प्रति:

सुश्री तृप्ति गुरहा, सचिव, केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, पश्चिमी खंड -8, विंग-2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ उस तिथि को जब वे संसद में प्रस्तुत किए जाए, दर्शाते हुए इस कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नक: यथोपरि


निदेशक (ए.एम.जी.-II)

पत्र संख्या: AMG-II/4-14/SAR/CARA/2021-22/

दिनांक:

प्रति:

प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को वार्षिक लेखे की प्रति, उसका पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित अग्रेषित की जा रही है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा (स्वा., क. एवं ग्रा. वि.) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

-हं/-
निदेशक (ए.एम.जी.-II)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रथक लेखा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 73(2) के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), नई दिल्ली के 31 मार्च, 2021 तक के संलग्न तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना कारा की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस प्रथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां दी गई हैं। कानून, नियमों, और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं कि :

- i) हमने वह सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र, आय और व्यय के लेखों और प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखों पर विचार किया गया है, वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- iii) हमारे विचार से, कारा द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रख-रखाव उपयुक्त रूप से किया गया है, जैसाकि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क. परिसंपत्तियां

क.1 मौजूदा परिसंपत्तिया, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) – 1127.07 लाख रुपये

क.1.1 1054.92 लाख रुपये की राशि बकाया पड़ी थी। यह मुद्दा पिछले वर्ष एएसआर में भी उठाया गया था। अभी तक कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. सहायतानुदान

कारा को वर्ष 2020-21 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 752.59 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। जिसमें से, 84.25 लाख रुपये का अनुदान मार्च, 2021 के महीने में प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष में प्राप्त सहायता अनुदान में 104.38 लाख रुपये बकाया था जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को वापस कर दिया गया। इसके पास 26.74 लाख रुपये की आंतरिक प्राप्तियां थीं। कुल 779.23 लाख रुपये में से, कारा ने 734.89 लाख रुपयों का उपयोग किया तथा 44.34 लाख रुपयों का अव्ययित अनुदान बचा।

ग. प्रबंधन पत्र

जो कमियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, वे उपचार/शोधक कार्रवाई के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई हैं।

v) पूर्ववर्ती पैराओं में टिप्पणियों के अधीन, हम यह जानकारी देते हैं, कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है :-

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के मामलों के संबंध में प्रस्तुत तुलन-पत्र से है, और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखों से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह/
महानिदेशक (एचडब्ल्यूएंडआरडी)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

अनुलग्नक

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में कोई आंतरिक लेखपरीक्षा प्रकोष्ठ/विभाग की स्थापना नहीं की गई है। सनदी लेखाकार द्वारा वर्ष 2020-21 तक आंतरिक लेखपरीक्षा की गई है।
2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता**
 - कारा की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि प्रोद्घवन प्रणाली को समुचित रूप से अंगीकृत नहीं किया गया था। कारा में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है।
 - अग्रिम राशि का लंबे समय से समायोजन नहीं हुआ है।
 - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69(4) के अनुसार, संचालन समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान संचालन समिति की केवल तीन बैठकें आयोजित की गईं।
 - अचल परिसंपत्तियों और वस्तुओं की सूची का भौतिक सत्यापन लंबित है।
3. **अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 04.11.2016 तक किया गया है।
4. **वस्तुओं की सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
पुस्तकों और प्रकाशन जैसी वस्तुओं की सूची का भौतिक सत्यापन 03.09.2020 तक किया गया है।
5. **बकाया राशि के भुगतान की नियमितता**
वार्षिक लेखों के अनुसार, सांघिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक कोई भी भुगतान बकाया नहीं है।

ह/-

निदेशक (एएमजी-II)



Bhavika Joshi Lathe,
Director

D.O. No.-AMG-II/4-14/SAR/CARA/2021-22/ ३६।
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
Office of the Director General of Audit
(Health, Welfare and Rural Development)
Indian Audit and Accounts Department

कार्यालय नं. 249 / Jy. No. 25.2.2022
दिनांक..... / Date.....
केंद्रीय-दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing 2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110086

Dated: 25 FEB 2022

महोदय,

हमने वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (कारा), नई दिल्ली के वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षण किया है और दिनांक 25/02/2020 के पत्र संख्या एएमजी-ए/4/14/एसएआर/सीएआरए/2020-21-858-880 के माध्यम से लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। हम सुधारात्मक कार्रवाई हेतु इन्हें आपके ध्यान में ला रहे हैं:

भाग क – अनवरत अनियमितताएं

1. परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2016-17 से नहीं किया गया है।

भाग ख – अन्य गौढ़ अनियमितताएं

1. निवेश (अनुसूची 10) – 241.35 लाख रुपये

गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि और उपदान निधि के निवेश हेतु वर्ष 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा विहित निवेश पैटर्न के अनुसार, 45 प्रतिशत तक राशि को बैंकों की मियादी जमा रसीदों में निवेश किया जा सकता है। कारा ने उपदान एवं छुट्टी वेतन की 241.35 लाख रुपये की पूरी संचयी राशि सिंडीकेट बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की मियादी जमा रसीदों में निवेश कर दिया जो वित्त मंत्रालय द्वारा विहित पैटर्न के साथ असंगत था। इस मुद्दे को पिछले वर्ष भी एसएआर में उठाया गया था। अभी तक कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2. वित्तीय वर्ष से संबंधित किन्तु उस वर्ष में भुगतान नहीं किए गए दावों को तुलन-पत्र के देयता पक्ष में दर्शाया जाना चाहिए और तदनुरूप व्यय को उस वर्ष जिससे व्यय संबंधित है, के नामे डाला जाना चाहिए। कारा ने मार्च से संबंधित 22,84,276/- रुपये की राशि का व्यय किया लेकिन इसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया। तथापि, इसके लिए वर्ष 2020-21 के लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के व्यय को कम और आय को अधिक दिखाया गया।

3. कारा के पास उपलब्ध वास्तविक एफडीआर का अंकित मूल्य और लेखों में निवेश के सामने दर्शायी गई राशि में अंतर निम्नानुसार थे:

क्र.सं.	एफडीआर सं.	बैंक	वास्तविक मियादी जमा रसीदों के अनुसार राशि	लेखों के अनुसार राशि	अंतर
1.	14003291026	सिंडीकेट बैंक	1422874	24135400	211072
2.	90704058306 / 20	सिंडीकेट बैंक	2089573		
3.	90704050011998 / 18	सिंडीकेट बैंक	1412440		
4.	90704058306 / 19	सिंडीकेट बैंक	1084101		
5.	140006832878 / 1	सिंडीकेट बैंक	5162845		
6.	9070 / 405 / 11998 / 9	सिंडीकेट बैंक	545405		
7.	140003836333 / 1	सिंडीकेट बैंक	1830854		
8.	468303230001192	यूनियन बैंक	5849717		
9.	468303230001189	यूनियन बैंक	4336806		
10.	110006212394 / 2	यूनियन बैंक	189713		
कुल			23924328	24135400	211072

टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कारा ने बताया कि 31.03.2021 तक की शेष अवधि के लिए एफडीआर पर ब्याज की गणना बैंको द्वारा प्रदत्त ब्याज प्रमाणपत्रों के आधार पर की गई थी और एफडीआर के साथ जोड़ दिया गया था। निवेश में अंतर को बैंकों के साथ लेखा समाधान किए जाने की जरूरत है।

भवदीय

ह/-

सुश्री तृप्ति गुहा

सचिव,

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल,

आर.के.पुरमए नई दिल्ली-110066



केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

यथा दिनांक 31 / 03 / 2021 तक
का वित्तीय विवरण

वेस्ट ब्लॉक-8, विंग-2, दूसरा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष-91-011-26180196, टोल फ्री-1800-11-1311, टेलीफैक्स-91-011-26180198

वित्तीय विवरण
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र		(राशि रुपये में)	
विवरण	बेड़यूल	2020-21	2019-2020
कॉर्पस/पूँजीगत निधि और देयताएं			
पूँजीगत निधि	1	112,182,470.00	124,649,570.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	-	-
निर्धारित / बंदोबस्ती निधियां	3	-	-
प्रतिभूति ऋण और उधारियां	4	-	-
अप्रतिभूति ऋण और उधारियां	5	-	-
आस्थागत ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	29,975,570.00	36,137,164.00
व्यय से अधिक आय			
कुल		142,158,040.00	160,786,734.00
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	8	5,315,650.00	5,359,897.00
निवेश से निर्धारित / बंदोबस्ती निधियां	9	-	-
निवेश और अन्य	10	24,135,400.00	22,885,362.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	112,706,990.00	132,541,475.00
विविध व्यय			
(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में जाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
कुल		142,158,040.00	160,786,734.00

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

2

01.04.2020 से 31.03.2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाता		(राशि रुपये में)	
विवरण	बेडयूल	2020-21	2019-20
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	69,608,826.00	78,087,994.00
फीस/अभिदान	14	50,000.00	450,000.00
निवेश से आय (निवेश पर आय निर्धारित/बंदोबस्ती से निधि को निधि में अंतरण किया गया)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	1,662,145.00	1,506,961.00
अन्य आय	18	387,717.00	495,547.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
और कार्य प्रगति पर है			
कुल (क)		71,708,688.00	80,540,502.00
व्यय			
स्थापना व्यय	20	33,189,443.00	30,056,888.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	50,942,098.00	39,902,489.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में कुल योग - अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	1,261,152.00	1,384,089.00
कुल (ख)		85,392,693.00	71,343,466.00
व्यय से अधिक आय का शेष होना (क-ख)		(13,684,005.00)	9,197,036.00
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)			
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण			
शेष राशि अधिशेष/(कमी) पूंजी निधि में वहन किया जाना		(13,684,005.00)	9,197,036.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	25		

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तिगत और भुगतान

प्राप्तियां	2020-21	2019-20	भुगतान	2020-21	2019-20
विवरण			विवरण		
(I) अद्य बेशः	19370	4196	(I) व्ययः		
क) नकद राशि			क) स्थापना व्यय	32108906	27,436,679
ख) बैंक बेश			ख) प्रशासनिक व्यय (अप्रत्यक्ष व्यय)	33501746	32,621,499
(I) चाल खातों में (अव्ययित बेश)			ग) पिछले वर्ष के प्रावधानों के खिलाफ भुगतान	-	781,369
(ii) जमा खातों			(II) निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान		
(iii) बचत खाते सिडिकेट बैंक	3816827	410,189	भुगतान		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6601556	574,742	विभिन्न परियोजनाएं के लिए:		
आईडीबीआई बैंक	-	-	(निधि या परियोजना का नाम होना चाहिए के व्योरे के साथ दिखाया गया है प्रत्येक परियोजना के लिए किया गया भुगतान)		
(II) अधिम का समायोजन	2,026,968	1,488,846	(III) अधिमों का समायोजन	10,495,086	
(III) अनुदान प्राप्तिगतः			(IV) निवेश और जमा किया गया:		
क) भारत सरकार से:-			क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि में से		
i) राजस्व व्यय	74042395	88,317,989	ख) स्वयं की निधि में से (निवेश-अन्य)		4,850,000
ii) पूंजीगत व्यय	1206605	1,072,011	(V) अचल परिसंपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय:		
ख) राज्य सरकार से			क) निचल परिसंपत्तियों की खरीद	1206605	1,072,011
ग) अन्य स्रोतों से (जुमाना)			क) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
अलगा से दिखाया जाए			(VI) ऋण और अधिम:		
(IV) निवेश पर आय से:			क) भारत सरकार को		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि			ख) राज्य सरकार को		
ख) स्वामित्व निधिया (अन्य निवेश)			ग) एनआईसीएसआई	3,500,000	14,910,256
(V) ब्याज प्राप्तिगतः			घ) स्टॉक	2,758,300	
क) बैंक में जमा			ङ) अन्य (केन्द्रीय भंडार)	540	
ख) ऋण अधिम आदि			(VII) वित्त प्रभार (व्याज):		
ग) बचत खाता	391836	325,882	(VIII) अन्य भुगतान (विशेष):		
घ) निवेश और अन्य से ब्याज	3000	-	प्रतिभूति जमा	413950	1,023,920
(VI) अन्य आय (उल्लेखित):			(XI) अंतः बेशः		
विविध प्राप्तिगत	51564	11,600	क) नकद राशि	588	19,370
एफएसबी	207885	477,512	ख) बैंक शेष		
अन्य आय (ईपीएफ)	696	520	(i) चाल खातों में (अव्ययित शेष)		
आरटीआई के विरुद्ध प्राप्तिगत			(ii) जमा खातों		
फीस और जुमाना	50000	450,000	(iii) बचत खाते सिडिकेट बैंक (एबीआई)	3,386,818	6,601,556
प्रॉकेन मशीन के उपयोग पर छूट			आईडीबीआई बैंक		
(VII) उधार ली गई राशि:			सिडिकेट बैंक	1,046,163	3,816,827
(VIII) अन्य प्राप्तिगत					
(विवरण दे):					
जमा प्रतिभूति					
कुल	88,418,702	93,133,487	कुल	88,418,702	93,133,487

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

4

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 1 : पूंजीगत निधि :		
वर्ष की आरंभ में शेष राशि	-	-
जोड़ें: पिछले वर्ष का अव्ययित अंशदान	124,649,570.00	114,134,143.00
जोड़ें: कॉर्पस/पूंजीगत निधि में अंशदान	1,206,605.00	114,134,143.00
जोड़ें: वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एजीसीआर के अवलोकन के कारण समायोजन	10,300.00	1,072,011.00
जोड़ें/(कटौती) : से अंतरण निवल आय/(व्यय) का शेष	(13.684,005.00)	246380.00
घटाएं: अथ शेष	-	9,197,036.00
आय और व्यय राशि	-	-
घटाएं : आरक्षित एवं अधिशेष को अंतरण	-	-
समाप्त वर्ष के अनुसार शेष	112,182,470.00	124,649,570.00
अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष :		
1. पूंजीगत आरक्षित	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
-	-	-
3. विशेष रिजर्व :		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य रिजर्व :		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	ह/-	ह/-

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

6

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 5 – सुरक्षित ऋण एवं उधारियां :		
1. केंद्रीय सरकार	- शून्य-	- शून्य-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
3. वित्तीय संस्थाएं	- शून्य-	- शून्य-
क) मियादी ऋण	- शून्य-	- शून्य-
ख) प्राप्त ब्याज एवं देय राशि	- शून्य-	- शून्य-
4. बैंक:		
क) मियादी ऋण	- शून्य-	- शून्य-
- प्राप्त ब्याज एवं देय राशि	- शून्य-	- शून्य-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
- प्राप्त ब्याज एवं देय राशि	- शून्य-	- शून्य-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसिया	- शून्य-	- शून्य-
6. डिबेंचर एवं बॉन्ड	- शून्य-	- शून्य-
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	- शून्य-	- शून्य-

नोट : एक वर्ष में देय राशि

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

7

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

		(राशि रुपयों में)	
		2020-21	2019-20
विवरण			
अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण एवं उधारियां :			
1. केंद्रीय सरकार		- शून्य-	- शून्य-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)		- शून्य-	- शून्य-
3. वित्तीय संस्थाएं		- शून्य-	- शून्य-
4. बैंक:			
क) मियादी ऋण		- शून्य-	- शून्य-
ख) प्राप्त ब्याज एवं देय राशि		- शून्य-	- शून्य-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसिया		- शून्य-	- शून्य-
6. डिबेंचर एवं बॉन्ड		- शून्य-	- शून्य-
7. मियादी जमा		- शून्य-	- शून्य-
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		- शून्य-	- शून्य-
कुल		-	-
अनुसूची 6 – आस्थिगत देयताएं :			
क) पूंजीगत उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों के माल बंधन			
द्वारा हासलि स्वीकार्यता			
ख) अन्य		- शून्य-	- शून्य-
कुल		-	-

नोट : एक वर्ष में देय राशि

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

8

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान:		
क. चालू देयताएं		
अव्ययित सहायता अनुदान	4,433,569.00	10,437,753.00
व्यय के लिए प्रावधान (अनुबंध-ग के अनुसार)	-	704,546.00
ई.पी. एफ. संगठन	-	-
प्रतिभूति जमा	1,458,622.00	1,901,144.00
टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर	-	-
टीडीएस व्यावसायिक/वेतन	-	-
टीडीएस पर जीएसटी	3,467.00	-
स्टाफ बी.के. साहू का खाता	-	-
स्टाफ डॉ. जे पति का खाता	-	-
प्रशिक्षण व्यय पर देय (एमएससीपीएस)	30,982.00	57,333.00
स्टाफ वीरेन्द्र कुमार मिश्रा का खाता	15,376.00	15,376.00
भुगतान एवं लेखा अधिकारी, एजीएमपी, ग्वालियर	131,038.00	131,038.00
कुल-क	6,073,054.00	13,247,190.00
ख-प्रावधान :		
1. करधान के लिए_	13,214,513.00	12,560,549.00
2. ग्रेज्युअटी		
3. सेवानिवृत्त/पेंशन	10,688,003.00	10,329,425.00
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटियां/दावित		
6. अन्य (विशेष)		
प्रशासनिक के लिए प्रावधान और स्थापना व्यय (अनुबंध:घ)		
व्यय के लिए प्रावधान		
कुल ख	23,902,516.00	22,889,974.00
कुल (क+ख)	29,975,570.00	36,137,164.00

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

9

अनुसूची 8 - नियत परिसंपत्तियां : अनुबंध-क के अनुसार-

31.3.2021 को अचल परिसंपत्ति अनुसूची

विवरण	लागत/मूल्य शुरुआत के रूप में साल का	सकल ब्लॉक			विवरण			राशि रूपये में				
		लिखा हुआ मूल्य पर शुरुआत साल का	परिवर्धन दौरान वर्ष	कटौती दौरान वर्ष	लिखा हुआ पर मूल्य वर्ष के अंत विभाग से पहले	शुरुआत के रूप में साल का	अतिरिक्त पर दौरान वर्ष	कटौतियों पर दौरान वर्ष	अतिरिक्त विवरण में चार्ज किया गया पीआर अभी साल वापस लिखा	कुल ऊपर तक वर्ष के अंत	के रूप में वर्तमान वर्ष के अंत	निवल ब्लॉक के रूप में पहले का वर्ष के अंत
क. नियत परिसंपत्तियां :												
1. भूमि :												
क) फ्रीहोल्ड												
ख) लीजहोल्ड												
2. भवन :-												
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर												
ख) लीजहोल्ड भूमि पर												
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर												
घ) भूमि पर अधिरचना												
इकाई से संबंधित नहीं												
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण												
4. वाहन												
5. फर्नीचर, फिक्स्चर (10%)	4,970,887	2,440,394	-	-	2,440,394	244,043	-	-	-	2,774,536	2,196,351	2,440,394
6. कार्यालय उपकरण (15%)	3,362,156	1,575,289	164,447	11,574	1,786,867	245,965	8,574	-	-	2,024,258	1,482,197	1,575,289
7. कंप्यूटर/पश्चिमी (40%)	6,160,168	1,081,764	848,458	-	1,930,222	645,465	-	-	-	5,723,869	1,284,757	1,081,764
8. विद्युत संस्थापना												
9. टिक्टेल और जल आपूर्ति	45,521	374	-	-	374	-	-	-	-	-	374	374
10. अन्य अचल परिसंपत्तियां (पुस्तकालय)		262,076	207,000	-	469,076	117,105	-	-	-	281,824	351,971	262,076
11. कार्यक्रम परिसंपत्ति												
कुल	14,538,732	5,359,897	1,219,905	11,574	6,568,228	1,252,578	8,574	-	-	10,804,487	5,315,650	5,359,897
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर है												
कुल योग	14,538,732	5,359,897	1,219,905	11,574	6,568,228	1,252,578	8,574	-	-	10,804,487	5,315,650	5,359,897

ह / -
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह / -
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह / -
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
परियमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश:		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
कुल	-	-
अनुसूची 10 – निवेश – अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
ब्याज उपार्जित लेकिन प्राप्त नहीं हुआ		
सावधि जमा (सिडिकेट बैंक/यूबीआई के साथ)	24,135,400.00	22,885,362.00
कुल	24,135,400.00	22,885,362.00

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
परिचयमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

11

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	2020-21	2019-20
-		
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क. चालू परिसंपत्तियां :		
1. इन्वेंटरी:		
क) स्टोर और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टोक इन ट्रेड	-	-
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर है	-	-
कच्चा माल	-	-
कुल		
2. विविध देनदार :		
क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		
ख) अन्य		
3. शेष नकद राशि (चेक / ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित) :	588.00	19370.00
4. बैंक शेष :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ :		
* चालू खातों पर		
* जमा खातों पर (मार्जिन मनी सहित)		
* बचत खातों पर	4,432,981.00	10,418,383.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:		
* चालू खातों पर		
* जमा खातों पर		
* बचत खातों पर		
कुल		
5. डाकघर-बचत खाते		
कुल	4,433,569.00	10,437,753.00

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

		12
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टाफ (अनुबंध 'क')	2,763,300.00	41500.00
ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएं		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
2. अग्रिम और अन्य राशियाँ जो नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य के रूप में वसूल की जा सकती हैं प्राप्त हो :		
क) पूंजीगत खातों पर		
ख) पूर्व भुगतान		
ग) अन्य:		
अनुलग्नक 'ख' के अनुसार प्रशिक्षण और जागरूकता	4848737.00	10245362.00
एनआईसी	3826136.00	3826136.00
सीपीडब्ल्यूडी	8280626.00	8985172.00
डीएवीपी	72512770.00	72512770.00
घ) पोस्टेज अग्रिम	39431.00	39431.00
एनआईसीएसआई	3823151.00	13140933.00
डीजीएस और डी	63459.00	63459.00
भूसंपदा निदेशालय	8000.00	8000.00
विदेशी टीए अग्रिम	0.00	3564.00
मैसर्स ऊषा मल्होत्रा	25000.00	25000.00
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	12065000.00	13025000.00
केंद्रीय मंडार	540.00	0.00
3. उपाजित आय :		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर		
ख) निवेश पर - अन्य (एफडीआर)		0.00
ग) ऋण और अग्रिम पर		
घ) अन्य	17271.00	187395.00
प्राय अनुदान सहायता		
4. प्राय दावे :		
कुल (क)	108,273,421.00	122,103,722.00
कुल (क+ख)	112,706,990.00	132,541,475.00

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

13

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

विवरण	(राशि रुपयों में)	
	2020-21	2019-20
अनुसूची 12 - बिक्री और सेवाओं से आय :		
1) बिक्री से आय	- शून्य-	- शून्य-
क) तैयार माल की बिक्री	- शून्य-	- शून्य-
ख) कच्चे माल की बिक्री	- शून्य-	- शून्य-
ग) रद्दी की बिक्री	- शून्य-	- शून्य-
2) सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रक्रमण प्रभार	- शून्य-	- शून्य-
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	- शून्य-	- शून्य-
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली	- शून्य-	- शून्य-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	- शून्य-	- शून्य-
ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी :- (अप्रतिबंधनीय अनुदान और सब्सिडी प्राप्त)	-	-
जोड़ें:- अव्ययित पर अनुदान	10,437,753	989,127
1) केंद्र सरकार	75,249,000	89,390,000
घटाएं:- 31/03/2021 तक व्यय नहीं किया गया अनुदान	4,433,569	10,437,753
घटाएं:- पूंजीगत निधि में राशि अंतरण	1,206,605	1,072,011
2) राज्य सरकार (सी)		
3) सरकारी एजेंसियां		
4) संस्थान/कल्याण निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (निर्दिष्ट करें) भारत की संचित निधि में अंतरण	10,437,753	781,369
कुल	69,608,826	78,087,994

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर्.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

15

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 14 - फीस/सदस्यता/जुमाना	-	-
-	-	-
1. प्रवेश फीस	0.00	0.00
2. वार्षिक फीस/सदस्यता	0.00	0.00
3. सेमिनार/कार्यक्रम फीस	0.00	0.00
4. परामर्शदात्री फीस	0.00	0.00
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	0.00	0.00
6. जुमाना	50,000	450,000
कुल	50,000	450,000

नोट: प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियों का खुलासा किया जाना है

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
 पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

16

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

विवरण	उद्दिष्ट निधि स निवेश	
	2020-21	2019-20
अनुसूची 15 - निवेश से आय :	-	-
कोष में उद्दिष्ट/अक्षय निधि से स्थानांतरित निवेश से आय	-	-
1. ब्याज	- शून्य-	- शून्य-
क) सरकारी प्रतिभूति पर	- शून्य-	- शून्य-
ख) अन्य बॉन्ड/डिबेंचर	- शून्य-	- शून्य-
2. लाभांश	- शून्य-	- शून्य-
क) शेयरों पर	- शून्य-	- शून्य-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूति पर	- शून्य-	- शून्य-
3. फिंराया	- शून्य-	- शून्य-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-
उद्दिष्ट/अक्षय निधि में स्थानांतरित	-	-

ह/-
 (सुरेश कुमार)
 लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
 (डा. जगन्नाथ पति)
 संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

17

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

विवरण	(राशि रुपयों में)	
	2020-21	2019-20
अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय :- 1) रॉयल्टी से आय 2) प्रकाशन से आय 3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	- - शून्य- - शून्य- - शून्य-	- - शून्य- - शून्य- - शून्य-
कुल	-	-

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
परिचयमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

18

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 17 – ब्याज अर्जित:-		
1) मियादी जमा राशियों पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	1250038.00	1061456.00
ग) संस्थानों के साथ	0.00	0.00
घ) अन्य	0.00	0.00
2) बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	405244.00	445505.00
ग) संस्थानों के साथ	0.00	0.00
घ) अन्य	0.00	0.00
3) ऋण पर:		
क) कर्मचारी / कर्मचारी		
बी) अन्य	6,863.00	0.00
4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	0.00	0.00
कुल	1,662,145.00	1,506,961.00
नोट: स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया जाना चाहिए		

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण

परिचयी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर्.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

19

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 18 - अन्य आय :-		
1) परिसंपत्ति के प्रति/ई/निपटान पर लाभ	-	-
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्ति	0	0
ख) अनुदान से अर्जित की गई परिसंपत्तियां, या निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्ति	0	0
2) निर्यात प्रोत्साहनों का एहसास	0	0
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	0	0
4) विविध आय	179,136	17,515
पुराने अखबारों और पत्रिकाओं की बिक्री	0	0
डाक विभाग द्वारा छूट फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर	0	0
आरटीआई शुल्क	696	520
प्राप्त विदेशी अंशदान	0	0
इंटरनेशनल मीट (रूपये फीस ए/सी)	0	0
एफएससी रिकॉर्ड (अवकाश वेतन) खाता	207,885	477,512
कुल	387,717	495,547

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

20

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

(राशि रुपयों में)

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 22 – तैयार माल और प्रगति पर कार्य में वृद्धि / (कमी)	-	
क) अंतिम स्टॉक	- शून्य-	- शून्य-
i) तैयार माल	- शून्य-	- शून्य-
ii) प्रगति पर काय	- शून्य-	- शून्य-
ख) कमी : प्रारंभिक स्टॉक		
i) तैयार माल	- शून्य-	- शून्य-
ii) प्रगति पर काय	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

21

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :-		
क) वेतन और मजदूरी	-	21,178,107
ख) जनशक्ति फीस (संविदा कर्मचारी)	22,951,255	583,778
ग) भत्ते, बोनस और मानदेय	5,000	85,594
घ) ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	594,000	366,750
ड.) छुट्टी वेतन भुगतान	1,778,374	660,473
च) ग्रेच्युटी भुगतान	921,902	616,130
छ) चिकित्सा व्यय	2,310,272	599,915
ज) एलटीसी व्यय	756,294	74,100
झ) पीएफ में नियोक्ता का योगदान	1,704,070	1,347,947
ञ) ईडीएलआई (पीएफ)	14,400	13,425
ट) ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क	63,415	64,046
ड) एफएससी	1,062,919	1,591,828
ड) लीज रेंट	-	-
ढ) ग्रेच्युटी प्रावधान	653,964	1,954,195
ण) अवकाश वेतन प्रावधान	358,578	920,600.00
त) स्टाफ वर्दी फीस	15,000	-
कुल क+ख	33,189,443	30,056,888

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर्.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय :-		
-		
विज्ञापन और प्रचार	2,803,083.00	1,412,382.00
लेखापरीक्षा फीस	133,440.00	117,270.00
बैंक प्रभार	768.00	1,829.00
देखरेख व्यय	13,020,032.00	1,454,532.00
कम्प्यूटर नेटवर्किंग एससरीज	24,813.00	89,975.00
परामर्शी सेवा प्रभार	22,038,651.00	19,721,444.00
वाहन व्यय	7,288.00	56,923.00
हिंदी पखवाड़ा व्यय	-	61,718.00
विज्ञापन समिति सदस्यों के खातों में मानदेय, टीए/डीए	-	269,215.00
आतिथ्य	74,735.00	81,128.00
निरीक्षण और निगरानी व्यय	29,192.00	520,867.00
इंटरनेटिप व्यय	26,333.00	129,795.00
बैठक व्यय	38,848.00	79,017.00
समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएं	60,150.00	70,236.00
कार्यालय का व्यय	17,996.00	105,597.00
डाक और टेलीग्राम फीस	146,897.00	313,240.00
मुद्रण व्यय	19,167.00	221,885.00
पेशेवर शुल्क और कानूनी	140,078.00	51,962.00
भर्ती और प्रशिक्षण व्यय	-	32,934.00
कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव	225,144.00	72,588.00
कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत और रखरखाव	29,138.00	195,512.00
कार्यालय उपकरण की मरम्मत और रखरखाव	131,338.00	-
सुरक्षा और सफाई व्यय	2,756,195.00	2,696,690.00
बैठने का शुल्क खाता	47,700.00	-
स्टेशनरी व्यय	701,140.00	851,232.00
टेलीफोन शुल्क	745,376.00	715,235.00
टोल फ्री हेल्प लाइन व्यय	66,229.00	97,098.00
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम व्यय	4,711,417.00	7,566,090.00
यात्रा व्यय	450,550.00	802,101.00
वाहन किराए पर लेना (कार)	1,139,580.00	1,251,290.00
पानी और बिजली शुल्क	76,872.00	82,121.00
विदेशी टीए व्यय	-	-
उत्तर पूर्वी क्षेत्र व्यय	444,564.00	54,089.00
आकस्मिकताएं (विविध व्यय) खाता	179,384.00	83,494.00
एनओसी समिति के सदस्यों को मानदेय खाता	656,000.00	643,000.00
कुल योग	50,942,098	39,902,489

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

23

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

विवरण	(राशि रुपयों में)	
	2020-21	2019-20
अनुसूची 22 – अनुदान, उपदान आदि पर व्यय :		
-	-	
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	- शून्य-	- शून्य-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायकी	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-
नोट : संस्थाओं के नाम, अनुदान/सहायकी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का प्रकटीकरण किया जाए।		
अनुसूची 23 – ब्याज_		
-	-	
क) मियादी जमा पर : पीएएमएस	- शून्य-	- शून्य-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रमारों सहित)	- शून्य-	- शून्य-
क) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची - 24

लेखे तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/आधार

1. लेखांकन परिपाटी :
वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्घवन रीति से तैयार किए गए हैं।
2. वस्तु सूची मूल्यांकन :
भंडार एवं स्पेयर का लागत पर मूल्यांकन किया गया है।
3. निवेश :
“दीर्घकालीन निवेश” के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर दर्शाए गए हैं।
4. अचल परिसंपत्तियाँ :
4.1 अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क एवं कर और अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।
4.2 गैर-आवर्ती अनुदान के रूप में अधिग्रहीत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजी कोष में संगत जमा द्वारा बताया गए मूल्य पर किया जाता है।
5. मूल्यह्रास :
5.1 01.04.2018 से मूल्यह्रास महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षकद्वारा वर्ष 2017-18 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार आय कर अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर डब्ल्यूडीवी पर किया गया है।
क. वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/घटाव के संबंध में, मूल्यह्रास पर दो अर्ध वार्षिक आधारों पर विचार किया जाता है।
ख. 5000/- रुपये अथवा उससे कम की प्रत्येक परिसंपत्ति लागत पूरी तरह ली गई है।
ग. अचल परिसंपत्तियों की अवशिष्ट लागत, लागत के 5: पर ली गई है।
6. सरकारी अनुदान/सहायिकी :
6.5 सरकारी अनुदान/सहायिकी का प्रोद्घवन आधार पर परिकलन किया गया है।
6.6 केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत व्यय हेतु विशिष्ट निर्देश के साथ प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए अन्यथा अविनिर्दिष्टित पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्ययित राशि को पूंजीगत कोष में दर्शाया गया है।

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

7. पट्टा : पट्टा किराये की रकम को पट्टे की निबंधन के संदर्भ में व्यय किया गया।
8. सेवानिवृत्ति लाभ :
8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान के लिए प्रावधान बीमांकिक गणना के आधार पर प्रोद्भूत तथा परिकलित किया गया है।
8.2 कर्मचारियों को जमा छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान बीमांकिक गणना के आधार पर प्रोद्भूत तथा परिकलित किया गया है।

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
पश्चिमी खंड-8, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची – 25

आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी नोट

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएं शून्य हैं।
2. संचालन समिति के विचार से, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कम से कम सामान्य व्यवसाय में वसूली के बराबर होता है।
3. आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य कोई राशि नहीं होने के मद्देनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
4. अनुसूची 1 से अनुसूची 25 तक और 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के साथ संलग्न हैं और इसका अभिन्न भाग हैं।

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

विवरण	सकल स्वीकृत मात्रा	वार्षिक लागत/क्षरीय मूल्य	वर्ष के आरंभ में लिखित आरंभ मूल्य		वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	कुल	2020-21		वर्ष के अंत में मूल्य/लाभ/मूल्य-	वर्ष के आरंभ में मूल्य/क्षरीय के रूप में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	कुल वर्ष के अंत में मूल्य/क्षरीय	अनुबंध-क		
			मात्रा	मूल्य				वर्ष के अंत में परिवर्धन	वर्ष के अंत में मूल्य/क्षरीय					वर्ष के अंत में परिवर्धन	वर्ष के अंत में कुल	वर्ष के अंत में कुल
			वर्ष के आरंभ में लिखित आरंभ मूल्य	वर्ष के अंत में परिवर्धन				वर्ष के अंत में परिवर्धन	वर्ष के अंत में परिवर्धन					वर्ष के अंत में परिवर्धन	वर्ष के अंत में परिवर्धन	वर्ष के अंत में परिवर्धन
क-फर्नियर और फिसरकर : (10%)																
31.03.2015 तक (वर्ष संवत्)	1	3,251,249	1,549,538	-	-	-	1,701,691	1,549,538	185,6647	1,394,602	1,549,538	1,549,538	1,549,538			
बोल्डन सिविल एसी 2 एन (छ/10/14)	1	43,500	24,263	-	-	-	19,237	24,263	21,663	21,837	24,263	24,263	24,263			
स्टील हाई बेक केयर 21/11/14	1	13,000	7,251	-	-	-	5,749	7,251	6,474	7,251	7,251	7,251	7,251			
स्टील गिडर केयर (27/11/14)	4	28,000	15,618	-	-	-	12,382	15,618	13,944	14,056	15,618	15,618	15,618			
ड्रुन एकीकृत डेल ब्लैक 27/11/14	1	34,000	18,965	-	-	-	15,035	18,965	16,932	17,068	18,965	18,965	18,965			
ड्रुन सेंटर डेल ब्लैक 27/11/14	1	5,600	3,123	-	-	-	2,477	3,123	2,789	2,811	3,123	3,123	3,123			
ड्रुन गम्पूर डेल ब्लैक 27/11/14	2	9,000	5,020	-	-	-	3,980	5,020	4,482	4,518	5,020	5,020	5,020			
ड्रुन कम्पूर डेल ब्लैक 27/11/14	1	7,788	4,510	-	-	-	3,278	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510			
कण्ट्रोल रोल 12/6/2015	1	37,000	23,326	-	-	-	13,674	23,326	16,007	20,993	23,326	23,326	23,326			
सिस्मन टेक्न (7x2.3"-6") 3/12/2015	1	6,650	4,191	-	-	-	2,459	4,191	2,878	3,772	4,191	4,191	4,191			
विश्लिंग केयर 3/12/15	2	79,700	55,357	-	-	-	24,343	55,357	29,679	49,821	55,357	55,357	55,357			
बोल्डन एयर कंडीशनिंग 1.5 एन बिट टेक्नोलॉजी 21.9.16	3	29,700	21,581	-	-	-	8,119	21,581	10,277	19,423	21,581	21,581	21,581			
ऑफिस डेल 48"x30" (28.2.17)	2	23,160	16,829	-	-	-	6,331	16,829	8,014	15,146	16,829	16,829	16,829			
ऑफिस डेल 60"x30"x30" (28.2.17)	1	6,075	4,259	-	-	-	1,816	4,259	2,242	3,833	4,259	4,259	4,259			
एकीकृत हाई बेक केयर (सीबी) 1.11.16	8	26,100	1,057	-	-	-	25,043	1,057	25,149	951	1,057	1,057	1,057			
गिडर केयर 1.11.16 (सीबी)	1	19,125	13,406	-	-	-	5,719	13,406	7,060	12,065	13,406	13,406	13,406			
एकीकृत डेल 1.11.16 (सीबी)	12	30,900	21,660	-	-	-	9,240	21,660	11,406	19,494	21,660	21,660	21,660			
गिडर केयर 16.12.16	2	6,300	4,496	-	-	-	1,804	4,496	2,254	4,046	4,496	4,496	4,496			
कॉन्ट्रोल रोल 9.1.17 (सीबी)	16	78,700	56,177	-	-	-	22,523	56,177	28,141	50,559	56,177	56,177	56,177			
सॉफ्ट डेल 9.1.17 (सीबी)	5	42,750	30,927	-	-	-	11,823	30,927	14,916	27,834	30,927	30,927	30,927			
गिडर केयर 16.1.17	3	9,250	6,691	-	-	-	2,559	6,691	3,228	6,022	6,691	6,691	6,691			
ऑफिस डेल 48"x24" 15.2.17	3	29,700	21,485	-	-	-	8,215	21,485	10,364	19,336	21,485	21,485	21,485			
ऑफिस डेल 48"x30" 15.2.17	9	110,250	79,758	-	-	-	30,492	79,758	38,468	71,782	79,758	79,758	79,758			
कार्य स्थल 15.2.17	2	11,910	8,654	-	-	-	3,256	8,654	4,121	7,789	8,654	8,654	8,654			
सॉफ्ट डेल 22.2.17	1	9,330	6,780	-	-	-	2,550	6,780	3,228	6,102	6,780	6,780	6,780			
सॉफ्ट डेल 22.2.17	1	11,580	8,414	-	-	-	3,166	8,414	4,007	7,573	8,414	8,414	8,414			
हाई बेक केयर 22.2.17	6	35,730	25,963	-	-	-	9,767	25,963	12,363	23,367	25,963	25,963	25,963			
ड्रुन सॉफ्ट डेल 2 30.2.17	1	20,250	14,779	-	-	-	5,471	14,779	6,949	13,301	14,779	14,779	14,779			
ड्रुन सॉफ्ट डेल 16.3.17	2	20,250	14,779	-	-	-	5,471	14,779	6,949	13,301	14,779	14,779	14,779			
सॉफ्ट डेल 16.3.17	1	10,125	7,390	-	-	-	2,735	7,390	3,474	6,651	7,390	7,390	7,390			
सॉफ्ट डेल 16.3.17	2	5,625	4,107	-	-	-	1,518	4,107	1,929	3,696	4,107	4,107	4,107			
मॉडिंग डेल 28.3.17	1	25,312	18,554	-	-	-	6,758	18,554	8,613	16,699	18,554	18,554	18,554			
फुल हाइट स्टीरिंग डेल 28.3.17	1	14,766	10,824	-	-	-	3,942	10,824	5,024	9,742	10,824	10,824	10,824			
सिस्मन 28.3.17	1	39,656	29,070	-	-	-	10,586	29,070	13,493	26,163	29,070	29,070	29,070			
ऑफिस डेल 48"x30"x30" (15.5.17)	1	9,900	7,321	-	-	-	2,579	7,321	3,311	6,589	7,321	7,321	7,321			
ऑफिस डेल 42"x24"x30" (6.6.17)	1	8,550	6,377	-	-	-	2,173	6,377	2,811	5,739	6,377	6,377	6,377			
ऑफिस डेल 48"x30"x30" (6.6.2017)	1	9,900	7,321	-	-	-	2,579	7,321	3,311	6,589	7,321	7,321	7,321			
साइड डेल 36"x18"x30" (6.6.17)	6	37,800	28,193	-	-	-	9,607	28,193	12,426	25,374	28,193	28,193	28,193			
ब्रास ब्लॉक (सं. 12) 15.6.17	10	6,248	254	-	-	-	5,994	254	6019	229	254	254	254			
ब्रास ब्लॉक (सं. 14) 15.6.17	12	12,537	508	-	-	-	12,029	508	12,080	457	508	508	508			
ब्रास ब्लॉक (सं. 16) 15.6.17	4	6,090	247	-	-	-	5,843	247	2,47	5868	247	247	247			
ऑफिस जनरल 1200x900x450 29.9.17	7	90,998	70,207	-	-	-	20,791	70,207	27,812	63,186	70,207	70,207	70,207			

ह / -
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह / -
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह / -
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

ऑफिस अलमीरा 78"X36"X19"	15	94,204	2,686	-	-	2,686	91518	269	91787	2,417	2,686	28
ऑफिस अलमीरा 50"X30"X17"	5	19,019	-	-	-	-	19019	-	19019	-	-	-
बुक केस, 4 दरवाजे	3	13,559	-	-	-	-	13559	-	13559	-	-	-
एजीक्यूटिव विजिटर चेयर	10	35,952	-	-	-	-	35952	-	35952	-	-	-
फाइल कैबिनेट, 2 ड्रॉवर	4	15,630	-	-	-	-	15630	-	15630	-	-	-
फाइल कैबिनेट, 4 ड्रॉवर	5	27,113	1,098	-	-	1,098	26015	110	26125	988	1,098	-
सेटर टेबल	3	9,882	-	-	-	-	9882	-	9882	-	-	-
एयर कंडीशनर विद स्टेब्लाइजर	3	99,686	4,037	-	-	4,037	95649	404	96053	3,633	4,037	-
रूम हीटर	4	1,400	-	-	-	-	1400	-	1400	-	-	-
ब्रास लेम	1	5,976	242	-	-	242	5734	24	5758	218	242	-
कैबिन फेन	1	550	-	-	-	-	550	-	550	-	-	-
एयर कंडीशनर विद स्टेब्लाइजर	2	52,000	14,116	-	-	14,116	37884	1,412	39296	12,704	14,116	-
एयर कंडीशनर विद स्टेब्लाइजर	1	32,000	11,972	-	-	11,972	20028	1,197	21225	10,775	11,972	-
एसी विन बोल्डज विद स्टेब्लाइजर 1.5 टन	2	52,600	27,766	-	-	27,766	24834	2,777	24989	24,989	27,766	-
एसी स्पेशल वोल्टज 2 टन विद स्टेब्लाइजर	1	46,000	24,282	-	-	24,282	21718	2,428	24146	21,854	24,282	-
यूपीएस एसीपी 700 वीए (जून/14)	1	4,850	202	-	-	202	4648	20	4668	182	202	-
वोल्टज एयर कंडीशनर 31.3.17	3	85,300	55,966	-	-	55,966	29334	5,597	34931	50,369	55,966	-
एयर कंडीशनर स्टेब्लाइजर 3.5.17	1	6,000	243	-	-	243	5757	24	5781	219	243	-
रिजिडि एसी 1.5 टन 19.6.17	1	29,800	20,698	-	-	20,698	9102	2,070	11172	18,628	20,698	-
कुल		4,970,887	2,440,394	-	-	2,440,394	2,530,493	244,043	2,774,536	2,196,351	2,440,394	
ख. कार्यालय उपकरण (15.00%)												
रेफ्रिजरेटर वलफूल 190 लीटर (29/10/14)	1	12,500	4,563	-	-	4,563	7937	684	8621	3,879	4,563	-
वाटर डिस्पेंसर वोल्डज (5/11/14)	1	10,000	3,650	-	-	3,650	6350	548	6898	3,102	3,650	-
टेलीफोन इन्टरनेट्स (बीटल) 31/3/15	10	8,949	3,395	-	-	3,395	5554	509	6063	2,886	3,395	-
रेफ्रिजरेटर एलजी इलेक्ट्रोलक्स 195 लीटर (31/3/15)	1	13,800	5,234	-	-	5,234	8566	785	9351	4,449	5,234	-
रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रोलक्स 163 वीएम (31/3/15)	1	9,600	3,641	-	-	3,641	5959	546	6505	3,095	3,641	-
वाटर डिस्पेंसर वोल्डज (31/3/14)	3	26,400	10,014	-	-	10,014	16386	1,502	17888	8,512	10,014	-
माइक्रोवेव ओवन आईएफबी (31/3/15)	3	17,700	6,713	-	-	6,713	10987	1,007	11994	5,706	6,713	-
स्टार डीपीवीएस विद 3 पी एच टी लाइन 28/11/2014	1	8,505	2,642	-	-	2,642	5863	396	6259	2,246	2,642	-
पेनासायनिक पुश बटन टेसी इन्स्ट्रुमेंट्स 28/11/14	2	6,300	1,958	-	-	1,958	4342	294	4636	1,664	1,958	-
कैनम स्कैनर डीआर-ए1060 एडवा एफबी 201 08/02/16	2	299,122	130,570	-	-	130,570	168552	19,586	188138	110,984	130,570	-
कैनम डिजिटल मल्टी प्रिंटर एमएफ 6180 08/2/16	5	220,500	96,251	-	-	96,251	124249	14,438	138687	81,813	96,251	-
माइक्रोटोक यूपीएस 800 वीए 27.7.16	1	4,388	158	-	-	158	4230	24	4254	134	158	-
सूकैम यूपीएस 600 वीए 31.3.17	30	60,000	2,167	-	-	2,167	57833	325	58158	1,842	2,167	-
कैनम डिजिटल कॉपीयर (आईआर 2002एन) 17.11.16	1	69,983	40,155	-	-	40,155	29828	6,023	35851	34,132	40,155	-
कैनम डिजिटल कॉपीयर (आईआर 2002एन) 9.3.17	1	69,950	40,936	-	-	40,936	29014	6,140	35154	34,796	40,936	-
वीयू अस्ट्रा एचडी टीवी (55) 29.3.17	1	66,675	39,020	-	-	39,020	27655	5,853	33508	33,167	39,020	-
रेफ्रिजरेटर सेमसंग 321 लीटर 30.3.17	2	70,000	40,966	-	-	40,966	29034	6,145	35179	34,821	40,966	-
आईपी पीवीएस सिरटम - मेट्रिक्स जीई 6 एस 30.3.17	1	159,185	93,159	-	-	93,159	66026	13,974	80000	79,185	93,159	-
मेट्रिक्स डिजिटल की फोन 30.3.17	2	12,000	7,023	-	-	7,023	4977	1,053	6030	5,970	7,023	-
मेट्रिक्स आईपी फोन - बीपी 28 एसई 30.3.17	5	39,700	23,233	-	-	23,233	16467	3,485	19952	19,748	23,233	-
मेट्रिक्स आईपी फोन - बीपी 110 30.3.17	30	120,000	70,227	-	-	70,227	49773	10,534	60307	59,693	70,227	-
पीओई के साथ आईपी फोन 1.5.17		68,000	2,456	-	-	2,456	65544	368	65912	2,088	2,456	-
जीएसबी - 40 आरई किट 7.9.17		3,749	135	-	-	135	3614	20	3634	115	135	-
मेट्रिक्स जीई वीएमएस- 16 कार्ड 4.12.17		24,869	16,830	-	-	16,830	8039	2,525	10564	14,305	16,830	-
हेबलस ऑयल फिल्टर सेल्वेटर रूम हीटर 6.3.18		133,030	94,592	-	-	94,592	38438	14,189	52627	80,403	94,592	-

₹ / - (सुरेश कुमार) लेखा अधिकारी, कारा
₹ / - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

एनपी से																				29
एनपी के																				
एनपीके के साथ ईपीके/एक्स सिरदम	1	71,726	335	-	-	-	-	-	-	-	-	71,391	50	71,441	285	-	-	-	-	-
गार श्रीवार वेस	1	14,472	484	-	-	-	-	-	-	-	-	13,988	73	14,061	411	-	-	-	-	484
फोटोकॉपीर (बेवेली 125 कोपीर रिटर)	1	35,138	12,694	-	-	-	-	-	-	-	-	33,866	1,904	34,059	10,790	-	-	-	-	12,694
रिट ब्लॉर	1	1,360	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1,311	7	1,318	42	-	-	-	-	49
ऑफिस फेस	1	768	27	-	-	-	-	-	-	-	-	741	4	745	23	-	-	-	-	27
पैनलॉगिक टेलीफोन प्लान सिरदम	1	12,350	2,846	-	-	-	-	-	-	-	-	9,504	427	9,931	2,419	-	-	-	-	2,846
क्राउन रिट कन्वर्टर	6	7,358	266	-	-	-	-	-	-	-	-	7,092	40	7,132	226	-	-	-	-	266
प्रिंकिंग मशीन आईडी 40	1	129,353	22,431	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06,922	3,365	1,10,287	19,066	-	-	-	-	22,431
ईडन बैक के साथ																				
डिवाइस मशीन बख्शुली -5745 (मई -2013)	1	307,534	75,315	-	-	-	-	-	-	-	-	232,219	11,297	243,516	64,018	-	-	-	-	-
टेलीफोन इन्फ्रारेड (अपग-2013)	24	14,700	3,642	-	-	-	-	-	-	-	-	11,058	546	11,604	3,096	-	-	-	-	3,642
फेस मशीन संग्राम (एएफ-651) (दिसंबर -13)	1	14,595	3,908	-	-	-	-	-	-	-	-	10,687	586	11,273	3,322	-	-	-	-	3,908
बायोमेट्रिक अटडेस मशीन (ब्लू-300) (9/13)	1	14,490	4,005	-	-	-	-	-	-	-	-	10,485	601	11,086	3,404	-	-	-	-	4,005
टेलीफोन इन्फ्रारेड (माई -2013)	1	1,299	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1,252	7	1,259	40	-	-	-	-	47
रिट कन्वर्टर (अपग)	7	11,812	3,670	-	-	-	-	-	-	-	-	8,142	551	8,693	3,119	-	-	-	-	3,670
इलेक्ट्रिक क्रेन	1	1,000	310	-	-	-	-	-	-	-	-	690	47	737	263	-	-	-	-	310
यूपीएस (एपीसी 800 वीए) (30/7/2015)	3	9,788	4,384	-	-	-	-	-	-	-	-	5,404	658	6,062	3,726	-	-	-	-	4,384
टेलीफोन इन्फ्रारेड	15	11,498	416	-	-	-	-	-	-	-	-	11,082	62	11,144	354	-	-	-	-	416
प्लान सिरदम	1	4,500	162	-	-	-	-	-	-	-	-	4,338	24	4,362	138	-	-	-	-	162
रेडरि और ट्रॉली के साथ इन्वर्टर (05-11-2018)	2	248,340	175,907	-	-	-	-	-	-	-	-	72,433	24,650	97,083	139,683	-	-	-	-	175,907
प्रिंकिंग मशीन (29-03-2019)	1	85,100	72,335	-	-	-	-	-	-	-	-	12,765	12,765	25,530	59,570	-	-	-	-	72,335
वाल्क रिजिट एपी 2 एन (31-05-2019)	1	5,598	47,589	-	-	-	-	-	-	-	-	8,398	8,398	16,796	39,191	-	-	-	-	47,589
वोल्ट एवर कंडीशर (24-06-2019)	1	4,589	39,091	-	-	-	-	-	-	-	-	6,898	6,898	13,796	32,193	-	-	-	-	39,091
काला सीडिंग फेस (08-08-2019)	4	4,885	4,152	-	-	-	-	-	-	-	-	4,885	733	5,618	4,152	-	-	-	-	4,152
काला सीडिंग फेस (19-08-2019)	8	15,115	12,848	-	-	-	-	-	-	-	-	2,267	2,267	4,534	10,581	-	-	-	-	12,848
वाटर डिस्पेंसर (30-08-2019)	1	16,369	13,919	-	-	-	-	-	-	-	-	24,550	24,550	49,100	114,569	-	-	-	-	13,919
माइक्रोवेव ओवन (30-08-2019)	2	20,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	6,000	14,000	-	-	-	-	17,000
बहुउद्देशीय उपयोगी फोटोकॉपीर कम रिटर (09-02-2019)	4	17,184	16,045	-	-	-	-	-	-	-	-	13,139	13,139	26,278	148,906	-	-	-	-	16,045
रिजिट एवर कंडीशर (16-01-2020)	1	32,999	30,524	-	-	-	-	-	-	-	-	2,475	2,475	4,950	28,049	-	-	-	-	30,524
ऑटोमेटिक सेलुलर (22.06.2020)	2	14,998		-	-	-	-	-	-	-	-		2,250	2,250	12,748	-	-	-	-	
प्रिंकिंग इन्वर्टर कंडर (23.07.2020)	9	19,296		-	-	-	-	-	-	-	-		1,016	1,016	5,760	-	-	-	-	
एक इन्वर्टर बैटरी (24-08-2020)	1	14,500		-	-	-	-	-	-	-	-		2,894	2,894	16,402	-	-	-	-	
एक्सोएट फेस (15.09.2020)	1	1,500		-	-	-	-	-	-	-	-		1,450	1,450	13,050	-	-	-	-	
माइक्रोवेव इन्वर्टर यूपीएस (11.01.2021)	1	4,698		-	-	-	-	-	-	-	-		2,25	2,25	4,346	-	-	-	-	
माइक्रोवेव ओवन (08.02.2021)	2	14,400		-	-	-	-	-	-	-	-		352	352	4,346	-	-	-	-	
माइक्रोवेव ओवन (23.03.2021)	1	9,799		-	-	-	-	-	-	-	-		735	735	9,064	-	-	-	-	
रिटरी एवर कंडीशर (30.03.2021)	2	78,480		-	-	-	-	-	-	-	-		5,886	5,886	72,594	-	-	-	-	
कुल		3,362,156	1,575,289									1,728,162	1,786,867	2,032,832	1,482,197					1,575,289
ग. कम्प्यूटर सहायक उपकरण (40%)																				
कम्प्यूटर (एएफ) इंटरनेट कनेक्शन (6/6/2008)	7	265,511	2,620	-	-	-	-	-	-	-	-	262,891	1,048	263,939	1,572	-	-	-	-	2,620
सर्बर (एएफ) इंटरनेट कनेक्शन (12/7/11)	1	206,905	3,724	-	-	-	-	-	-	-	-	203,181	1,490	204,671	2,234	-	-	-	-	3,724
कम्प्यूटर (एएफ) इंटरनेट कनेक्शन 45	7	276,312	4,973	-	-	-	-	-	-	-	-	271,339	1,989	273,328	2,984	-	-	-	-	4,973
माइक्रोवेव ऑफिस 2011 (एएफ) एर	7	112,482	2,024	-	-	-	-	-	-	-	-	110,458	810	111,268	1,214	-	-	-	-	2,024
रिटरी (एएफ) एर कंडीशर 6080 एर	3	35,278	635	-	-	-	-	-	-	-	-	34,643	254	34,897	381	-	-	-	-	635
रिटरी कंडर (एएफ) एर	2	71,838	1,293	-	-	-	-	-	-	-	-	70,545	517	71,062	776	-	-	-	-	1,293
प्रिंकिंग के साथ डेस्कटॉप कम्प्यूटर	14	618,424	11,132	-	-	-	-	-	-	-	-	607,292	4,453	611,745	6,679	-	-	-	-	11,132
एपी रिटर (अपग-2019)	7	78,071	1,405	-	-	-	-	-	-	-	-	76,666	562	77,228	843	-	-	-	-	1,405
एलईडी टीवी पैनलॉगिक 42 इंच (29/10/14)	1	42,000	756	-	-	-	-	-	-	-	-	41,244	302	41,546	454	-	-	-	-	756
स्करन तथा फेस के साथ रिटर एपी (3/2/15)	1	14,800	266	-	-	-	-	-	-	-	-	14,534	106	14,640	160	-	-	-	-	266
रिटरी लोअर गेट एपी (31/3/15)	4	98,700	1,777	-	-	-	-	-	-	-	-	96,923	711	97,634	1,066	-	-	-	-	1,777

ह / -
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह / -
(श. जगनाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह / -
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

डिजी इंडस्ट्री गैजट 14/10/2015	54,000	4,561	-	-	-	494329	1,824	51,263	2,737	4,561
ऑप्टिकल सिस्टम के साथ कम्प्यूटर एप्ली (10/2/2016)*	680,830	89,830	-	-	-	590839	35,932	626,761	53,898	89,830
कम्प्यूटर एप्ली 12/09/2015	863,537	113,966	-	-	-	749571	45,586	795,157	68,380	113,966
कम्प्यूटर प्रिंटर एप्ली 12/09/2015	124,195	16,390	-	-	-	107805	6,556	114,361	9,834	16,390
एप्ली मोनिटर एप्ली 24* 21/02/2016	28,980	3,824	-	-	-	27156	3,824	26686	2,294	3,824
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 1 टीबी डब्ल्यूडी 17/3/2016	5,355	707	-	-	-	4648	283	4931	424	707
एप्ली सीपीयू 800 और 12.9.16	5,513	1,042	-	-	-	4471	1,042	4888	625	1,042
एप्ली सीपीयू 23 जीएस एलडीडी मोनिटर 31.5.16	28,580	4,315	-	-	-	24265	1,726	25991	2,589	4,315
एप्ली 10GB सेक्टर प्रिंटर 23.8.16	9,503	1,706	-	-	-	7797	682	8479	1,024	1,706
कम्प्यूटर सिस्टम एप्ली 20/0990 एन 22.2.17	127,600	30,176	-	-	-	97424	12,070	109494	18,106	30,176
कम्प्यूटर सिस्टम एप्ली 22/8092 ऑडियो 22.2.17	197,600	46,730	-	-	-	169562	18,692	169562	28,038	46,730
कम्प्यूटर सिस्टम एप्ली 24/8945 ऑडियो 22.2.17	292,800	69,243	-	-	-	223557	27,697	251254	41,548	69,243
सीपीयू चिप 24 पोर्स 30.3.17	32,512	7,997	-	-	-	24515	3,199	27714	4,798	7,997
सीपीयू चिप 8 पोर्स 30.3.17	21,094	380	-	-	-	20714	352	20866	228	380
सीपीयू चिप 10 पोर्स 30.3.17	21,025	2,491	-	-	-	1634	996	8630	1,495	2,491
सीपीयू चिप 10 पोर्स 30.3.17	72,000	17,711	-	-	-	54289	7,084	61373	10,627	17,711
आईटी डैटा केंद्र इंडोर 31.3.17	34,200	8,413	-	-	-	25787	3,365	29152	5,048	8,413
आईटी डैटा केंद्र इंडोर 31.3.17	106,875	26,290	-	-	-	80585	10,516	91101	15,774	26,290
एनोडोर 16 सेक्टर के साथ 12 टीबी हार्ड डिस्क 31.3.17										
कम्प्यूटर सिस्टम एप्ली-22-बी292 31.3.17	457,512	112,543	-	-	-	344969	45,017	389986	67,526	112,543
एप्ली सेक्टर जेट प्रिंटर एप्ली 477 प्रिंटर (कॉर) 31.3.17	62,000	15,251	-	-	-	46749	6,100	52849	9,151	15,251
एप्ली सेक्टर जेट प्रिंटर 31.3.17	21,800	5,363	-	-	-	16437	2,145	18582	3,218	5,363
एप्ली सेक्टर जेट प्रिंटर 31.3.17	131,000	32,234	-	-	-	98776	12,890	111666	19,334	32,234
एप्ली सेक्टर जेट प्रिंटर 2 (आई-5)31.3.17	150,000	36,898	-	-	-	13102	14,759	127861	22,139	36,898
एप्ली सेक्टर जेट प्रिंटर 31.3.17	36,000	8,855	-	-	-	27145	3,542	30687	5,313	8,855
2 टीबी एलडीडी सीट हार्ड डिस्क (17.8.17)	6,350	1,864	-	-	-	4486	746	1,864	1,118	1,864
एप्ली ऑडियो हॉम 2016 थैक (17.8.17)	13,500	3,962	-	-	-	9538	1,585	11123	2,377	3,962
एप्ली कोर्पोरेट और माइक्रो कॉम्प 22.1.18	7,700	2,626	-	-	-	5074	1,050	6124	1,576	2,626
रि-ब्रांडेड प्रिंटर (नोकिया 6260)	16500	297	-	-	-	16203	119	16322	178	297
एप्ली सेक्टर जेट प्रिंटर मॉडल 1020	11,934	215	-	-	-	11719	86	11805	129	215
सेन 4 जीपी	500	9	-	-	-	491	4	495	5	9
एप्ली सेक्टर जेट प्रिंटर 800 जीएस	4,950	89	-	-	-	4861	36	4897	53	89
एप्ली सेक्टर जेट प्रिंटर 800 जीएस	64039	1,533	-	-	-	62886	461	63347	692	1,533
एप्ली सेक्टर जेट प्रिंटर 800 जीएस	4,600	83	-	-	-	4517	33	4550	50	83
सेन केंद्र (लॉजिक-सी-170)	1,365	25	-	-	-	1340	10	1350	15	25
सीपीयू चिप (डब्ल्यू 830 एव डब्ल्यू810)	14,605	263	-	-	-	14342	105	14447	158	263
सेक्टर जेट प्रिंटर (04/12/2018)	249,596	129,790	-	-	-	198006	51,916	171722	77,874	129,790
सेक्टर जेट प्रिंटर (06/02/2019)	3,450	1,932	-	-	-	1518	773	2291	1,159	1,932
कोर्पोरेट और माइक्रो कॉम्प (31-3-2019)	1360	6890	4,134	-	-	2756	1,654	4410	2,480	4,134
सेक्टर जेट प्रिंटर (31-3-2019)	1,300	816	-	-	-	544	326	870	490	816
सेक्टर जेट प्रिंटर (31-3-2019)	3,000	780	-	-	-	520	312	832	468	780
एप्ली कम्प्यूटर और सेन-एन (26-09-2019)	279,995	167,997	-	-	-	111998	67,199	179197	100,798	167,997
सेक्टर जेट प्रिंटर (17-10-2019)	3,3997	27,198	-	-	-	6799	10,879	17678	16,319	27,198
अपना वायरलेस सिस्टम	59708	47,766	-	-	-	11942	19,106	31048	28,660	47,766
प्रोसेसर 1 क्वी	4068	3,254	-	-	-	814	1,302	2116	1,952	3,254
सिम्बोयोसिस केंद्र (06.07.2020)			-	-	-	0	1,160	1160	1,739	-
हार्ड ड्राइव प्रिंटर (25.09.2020)			-	-	-	0	78,383	78383	117,574	-
एप्ली कम्प्यूटर (15.10.2020)			-	-	-	0	16,915	16915	67,658	-
एक हार्ड ड्राइव प्रिंटर (6.11.2020)			-	-	-	0	59,278	59278	47,422	-
कम्प्यूटर (11.01.2021)			-	-	-	0	80,298	80298	64,238	-
माइक्रो प्रोसेसर (26.02.2021)			-	-	-	0	14,801	14801	11,841	-
इन्टेल प्रोसेसर (15.03.2021)			-	-	-	0	14,988	14988	11,990	-
सेक्टर जेट प्रिंटर (22.03.2021)			-	-	-	0	99,330	99330	79,464	-
कम्प्यूटर प्रिंटर (31.03.2021)			-	-	-	0	286,034	286034	57,207	-
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क (12.02.2020)			-	-	-	0	10,300	5,356	4,944	-
	6,160,168	1,081,764				5,078,404	645,465	5,723,869	1,284,757	1,081,764
घ. पुस्तकालय की पुस्तकें	45,521	374				-	-	0	374	374
ड. कार्यक्रम परिवर्तिका										
कॉम्प्यूटर वाइडियम मशीन (23-10-2019)	4,500	4,162	-	-	-	338	312	650	3,850	4,162
केंद्रिय प्रोग्राम के लिए लैपटॉप (14/11/2018)	246,380	118,262	-	-	-	128118	47,305	175423	70,957	118,262
मिनिंग और डिप्लोमा के लिए केंद्र (30/3/20)	24,869	19,895	-	-	-	4974	342	5316	19,895	19,895
मिनिंग प्रोग्राम-प्रारंभ के लिए केंद्र के माध्यम (26/12/19)	67,248	53,798	-	-	-	13450	10,760	24210	43,038	53,798
प्रोग्रामिंग केंद्र के लिए लैपटॉप 3 वर्ष (01/01/2020)	78,400	62,720	-	-	-	15680	16,986	32666	45,734	62,720
सिम्बोयोसिस केंद्र *	5,398	3,239	-	-	-	2159	3,239	32666	3,239	3,239
कम्प्यूटर प्रिंटर (31.03.2021)			-	-	-	0	41,400	41400	165,600	-
	426,795	262,076				164,719	117,105	281,824	351,971	262,076
योग	14,965,527	5,595,897				9,560,483	1,252,578	10,813,061	5,315,650	5,595,897
सकल योग										

ह / -
 (सुरेश कुमार)
 लेखा अधिकारी, कारा

ह / -
 (डा. जगन्नाथ पति)
 संयुक्त निदेशक, कारा

ह / -
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए अग्रिम				31
क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन/सरकारी कार्यालय का नाम	निर्मुक्ति की तारीख	राशि	अनुलग्नक-ख अभ्युक्ति
1	आईसीसीडब्ल्यू नई दिल्ली	19.8/10.9.2008	618,860	
2	यसोदा पुणे		55,000	
3	निदेशक, म.बा.वि., रायपुर	03.06.2010	164,320	
5	निदेशक, म.बा.वि., आंध्र प्रदेश	24.02.2011	248,808	
6	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागालैंड	02.09.2011	99,704	
7	आईसीडीएस, सोसायटी, बैंगलुरु	20.10.2011	54,400	
9	अध्यक्ष, वीसीए, हैदराबाद	17.01.2014	20,239	
10	आयुक्त एवं राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे	16.12.2014	237,510	
11	निदेशक, गोवा लोक प्रशासन संस्थान	10.03.2015	109,592	
13	निदेशक, समाज कल्याण एवं बाल संरक्षण सोसायटी, रांची	10.12.2015	199,490	
14	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला एवं बाल एपीएसपीई, विजयवाडा	10.03.2016	132,329	
16	महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	19.01.2018	390,240	
17	महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	22.02.2018	117,173	
18	निदेशक, आईसीपीएस, सिक्किम	13.03.2018	213,251	
19	कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	15.03.2018	475,661	
25	कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	05-07-2019,	402,060	
26	निदेशक, बाल अधिकार, पश्चिम बंगाल	05-08-2019,	551,340	
27	निदेशक, समाज कल्याण, बिहार	17-09-2019,	758,760	
	योग		4,848,737	-

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम	कर्मचारी का नाम	बकाया राशि 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार	बकाया राशि 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार	अभ्युक्ति	32
क	त्योंहार अग्रिम :				
	योग क				
ख	गृह निर्माण अग्रिम				
	बिनोद कुमार – उप निदेशक	2,030,500	-		
ग	कम्प्यूटर अग्रिम :				
	कमल किशोर – उप निदेशक	35,000	-		
घ	कार अग्रिम :				
ङ	स्कूटर अग्रिम				
	श्री सी.एस. भक्ता – अ.श्रे.लि.	-	4,500		
च	यात्रा भत्ता अग्रिम				
	आशुतोष – स.नि.	-	23,000		
छ	चिकित्सा अग्रिम				
	संजय कुमार-डीईओ	692,800	-		
ज	अन्य				
	अर्चना त्यागी				
	अपर्णा शर्मा				
	दीपक राठौर	5,000	5,000		
	सी.एस. भक्ता	-	9,000		
	योग ख	2,763,300	41,500		
	सकल योग (क+ख+ग)	2,763,300	41,500		

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

33	
<p>वित्तीय विवरण अनुलग्नक 'ग' केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण परिचयमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066</p>	
31/03/2021 की स्थिति के अनुसार व्यय हेतु प्रावधान	
क्र.सं.	व्यय शेष
	व्यय का विवरण
1	पिछले वर्ष के प्रावधान (शेष)
	के.लो.नि.वि. के लिए अग्रिम
	सकल योग
	राशि
	0.00
	0.00

ह/-
(सुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा



टिप्पणी

“प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन मान्य होगा।”



केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

पश्चिमी खंड -8, विंग-2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066

टोल फ्री नं. 1800-11-1311, फ़ैक्स- 91-011-26180198

ईमेल- carahdesk.wcd@nic.in,

वेबसाइट- www.cara.nic.in



केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम,
नई दिल्ली-110 066

टोल फ्री नं. 1800-11-1311, टेलीफैक्स : +91-11-26180198

ई-मेल: carahdesk.wcd@nic.in

वैबसाइट: www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority

Ministry of Women & Child Development, Government of India
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R. K. Puram,
New Delhi-110 066

Toll Free No.: 1800-11-1311, Telefax: +91-11-26180198

E-mail: carahdesk.wcd@nic.in

Website: www.cara.nic.in